



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 08 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 17, 1948 शक संवत्) [संख्या 32

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	417—448	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	607—668	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	13—22	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1547-1567	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	693—698	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष-विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप**नियुक्ति/तैनाती**

24 जून, 2024 ई0

सं0 3323/96-आयुष-1-2024-129/2021-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-150/02/डी0आर0/एस-11/2021-22टी0सी0, दिनांक 16 फरवरी, 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश आयुष (यूनानी) विभाग के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में रीडर अमरोज जिल्द व तजीनियत के 01 पद (अनारक्षित) पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 रफीउद्दीन पुत्र श्री मोईनुद्दीन निवासी बाबुल्ला खान न्यू अमन अपार्टमेंट किफायत कालोनी निआ 101 ए, किफायत कालोनी, मुम्ब्रा थाणे, महाराष्ट्र 400612 को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत औपबन्धिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में रीडर, अमराजे जिल्द व तजीनियत के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

05 जुलाई, 2024 ई0

सं0 4232/96-आयुष-1-2024-198/2007—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-721(1)/04/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 02 मई, 2024 द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, शरीर के रिक्त पद पर सीधी भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 मनोज कुमार पुत्र श्री रामबली राम, मकान नंबर-07, अचला देवी घाट रोड, मोहल्ला बाग अरब, तहसील-जौनपुर सदर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश 222001 को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, शरीर के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4233/96-आयुष-1-2024-198/2007—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-723(2)/06/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 29 अप्रैल, 2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, द्रव्यगुण के रिक्त पद पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 अखिलेश कुमार पुत्र श्री सतगुर प्रसाद, ग्राम-पंखियापुरवा, ग्रामसभा-बाजनगर, पो0 बहादुरनगर, थाना-पिसावों, सीतापुर को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत में रीडर द्रव्यगुण के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1 सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2 नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3 वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4 सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5 नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6 चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4234/96-आयुष-1-2024-198/2007—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-723/06/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, द्रव्यगुण के रिक्त पद पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 सन्तोष कुमार मौर्य पुत्र श्री कडेदीन मौर्य, उमरपुर हरिबन्धपुर, हुसैनाबाद, जौनपुर को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज में रीडर द्रव्यगुण के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4235/96-आयुष-1-2024-198/2007—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-725(1)/08/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के रिक्त पद पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 महेन्द्र सिंह पुत्र श्री छत्रपति सिंह, 1048/599 दरियाबाद, प्रयागराज को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा में रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, अतर्रा बांदा के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4236/96-आयुष-1-2024-198/2007—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-725(1)/08/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के रिक्त पद पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 दिव्याभ पुत्र श्री ओम प्रकाश, एस0ए0 5/176 पी-3, चित्रगुप्ता कालोनी, रामारेपुर पहाड़िया, वाराणसी को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत में रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगार्ड-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4237/96-आयुष-1-2024-198/2007—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-721/04/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 27 मार्च, 2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, क्रिया शरीर के रिक्त पद पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 नेहा दत्तात्रय गाडगिल पत्नी श्री अक्षर अशोक कुलकर्णी, प्लॉट नं0-12 मौली, साधना सोसाइटी, निकट आकाशवाणी केन्द्र, पुणे महाराष्ट्र 411028 को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत औपबन्धिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज में रीडर क्रिया शरीर के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4238/96-आयुष-1-2024-198/2007—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-725/08/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 01 फरवरी, 2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के रिक्त पद पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 सुढलदेव महापात्र

पुत्र श्री सुभाष चन्द्र महापात्रा, मध्यखण्डी श्री बालादेवज्यू केन्द्रापड़ा, ओडिशा 754212 को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत औपबन्धिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज में रीडर, रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगार्ड-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश, भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4239/96-आयुष-1-2024-198/2007-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-724/07/डी0आर0/एस-9/2022-23, दिनांक 22 फरवरी, 2024 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर, अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के रिक्त 01 पद पर सीधी-भर्ती के चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 अनीता कनौजिया पत्नी श्री जोगेन्द्र कुमार, सी-317 डिफेंस एनक्लेव, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर में रीडर अगद तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के पद पर नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

1— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2— नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3— वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4— सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित, 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5— नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6— चरित्र सत्यापन रिपोर्ट/किसी अभिलेख में किसी स्तर पर यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7— कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

(1) 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय-सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2) अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

(3) उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4) ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5) गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7) एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8) इस आशय का एक शपथ-पत्र कि उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाण-पत्र/शैक्षणिक अभिलेख सत्य हैं।

8— सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश, राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथा संशोधित 2008 में उक्त आयुर्वेद चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4240/96-आयुष-1-2024-198/2007-निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-868/शिक्षा-1943/2009, दिनांक 18 जून, 2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित चिकित्सा शिक्षकों, जिनकी पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित शासन के कार्यालय ज्ञाप द्वारा स्तम्भ-4 में उल्लिखित पद पर किया गया है, को स्तम्भ-5 में अंकित राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है—

क्र0 सं0	चिकित्सा शिक्षक का नाम/वर्तमान तैनाती	पदोन्नति संबंधी कार्यालय ज्ञाप	पदोन्नति के उपरान्त पदनाम	नवीन तैनाती स्थल
1	2	3	4	5
1	डा0 रमेश कान्त दुबे, चिकित्सा शिक्षक, स्वस्थवृत्त विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	संख्या-4641/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज
2	डा0 विपिन कुमार मिश्रा चिकित्सा शिक्षक, रोग निदान विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, मुजफ्फरनगर	संख्या-4640/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर
3	डा0 मधु सिंह चिकित्सा शिक्षक, रोग निदान विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी	संख्या-4639/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झाँसी
4	डा0 आलोक सिंह सिंगर चिकित्सा शिक्षक, संहिता, संस्कृत एवं सिद्धान्त विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी।	संख्या-4638/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झाँसी
5	डा0 अरविंद कुमार गुप्ता चिकित्सा शिक्षक, संहिता, संस्कृत एवं सिद्धान्त विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत	संख्या-4637/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बरेली
6	डा0 मनीष कुमार मिश्रा चिकित्सा शिक्षक, काय चिकित्सा विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	संख्या-4636/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी

1	2	3	4	5
7	डा0 रीता सिंह चिकित्सा शिक्षक, संहिता, संस्कृत एवं सिद्धान्त विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, मुजफ्फरनगर	संख्या-4635/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुजफ्फरनगर
8	डा0 मनोज कुमार कुरिल चिकित्सा शिक्षक, शल्य तंत्र विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	संख्या-4634/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बरेली
9	डा0 सुधा सिंह चिकित्सा शिक्षक, शल्य तंत्र विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ	संख्या-4633/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ
10	डा0 सुमन यादव चिकित्सा शिक्षक, शल्य तंत्र विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, बरेली	संख्या-4632/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी
11	डा0 अवधेश कुमार चिकित्सा शिक्षक, रोग निदान विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी	संख्या-4631/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, वाराणसी
12	डा0 सुनीता कुमारी चिकित्सा शिक्षक, रचना शरीर विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक, लखनऊ	संख्या-4630/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ
13	डा0 सीमा सचान चिकित्सा शिक्षक, रचना शरीर विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज वाराणसी	संख्या-4628/96-आयुष- 1-2023-92/2022, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बरेली

1	2	3	4	5
14	डा0 शिप्रा अग्रवाल चिकित्सा शिक्षक, रोग निदान विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज पीलीभीत	संख्या-3658/96-आयुष- 1-2023-155/2021, दिनांक 10 जून, 2024	प्रोफेसर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत
15	डा0 सारिका श्रीवास्तव चिकित्सा शिक्षक, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज वाराणसी	संख्या-3657/96-आयुष- 1-2023-155/2021, दिनांक 10 जून, 2024	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, हण्डिया प्रयागराज
16	डा0 हरिशंकर मिश्र चिकित्सा शिक्षक, द्रव्यगुण विभाग, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज पीलीभीत	संख्या-3656/96-आयुष- 1-2023-155/2021, दिनांक 10 जून, 2024	रीडर	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत

2— सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक अपने नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणिक की प्रति शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

18 जुलाई, 2024 ई0

सं0 4447/96-आयुष-1-2024-155/2017-मा0 लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) के पद पर चयनित संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के प्रस्तर-1 में निहित व्यवस्था के अनुसार उनसे प्राप्त स्व घोषणा-पत्र एवं शपथ-पत्र तथा राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश, की स्वास्थ्य रिपोर्ट के आधार पर संलग्न सूची के स्तम्भ-4 में अंकित अभ्यर्थियों को स्तम्भ-9 में अंकित आदेश द्वारा स्तम्भ-10 में अंकित स्थल पर उनकी तैनाती औपबन्धिक रूप से चिकित्सकाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) के पद पर की गई है।

2— औपबन्धिक रूप से चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) के पद पर नियुक्त उक्त चिकित्सा अधिकारियों के चरित्र सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त एवं उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य न पाये जाने के दृष्टिगत कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के बिन्दु-(3) में निहित व्यवस्था के अनुसार संलग्न सूची के स्तम्भ-9 में अंकित औपबन्धिक नियुक्ति पत्र की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

शासनादेश सं0-4447/96-आयुष-1-2024-155/2017 दिनांक 18 जुलाई, 2024

क्र0 सं0	लोक सेवा आयोग का चयन क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	गृह जनपद	पत्र व्यवहार का पता	स्थायी पता	शासन द्वारा निर्गत औपबन्धिक नियुक्ति पत्र संख्या	तैनाती स्थल	ई-मेल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)-	सर्वश्री-						
1	04	54100 077596	प्रियंका वर्मा	गुरु प्रसाद वर्मा	लखनऊ	म0नं0-बी-75, बसन्त कुंज योजना, भरावन कला, हरदोई रोड, जनपद-लखनऊ- 226101	म0नं0-बी-79, एल्डिको सिटी नियर आई0आई0एम0 सर्किल, मुबारकपु र जनपद- लखनऊ- 226013	संख्या- 4057/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	हरदोई	Priyogay urved@ gmail.co m
2	05	54100 136251	श्रुति पाण्डेय	W/o श्री अक्षय गुजराती	वाराणसी	मकान सं0-645- 648, सेक्टर-एन-2, अलीगंज, लखनऊ 226024	अक्षय गुजराती मकान न0-के0- 23 110 दूध विनायक लेन, पंचगंगा घाट, वाराणसी- 221001	संख्या- 4447/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	जौनपुर	Shrutipan dey654@ gmail.co m
3	12	54100 163802	पूजा शिवशंकर यादव	शिवशंकर रामनारायण I यादव	सुलतान पुर	डिपाटमेण्टल ऑफ काय चिकित्सा धनवन्तरी भवन, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद वाराणसी- 221005	वाजिदपुर, चंदा, तहसील लमहुआ, सुलतानपुर- 222301	संख्या- 4450/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	जौनपुर	Yadav292 pooja@ gmail.co m
4	27	54100 025919	चारु जैन	सुरेश चन्द्र जैन	आगरा	निवासी-जैन भवन, 79 अल्कापुरी, प्रतापनगर, जयपुर हाउस, लोहा मण्डी, आगरा- 282010	निवासी-जैन भवन, 79 अल्कापुरी, प्रतापनगर, जयपुर हाउस, लोहा मण्डी, आगरा-282010	संख्या- 4456/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	उन्नाव	MyLife.10 19814@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
5	31	54100 082783	स्वाती केसरवानी	अशोक केसरवानी	प्रयागराज	निवासी-ग्राम व पोस्ट-सहसों, प्रयागराज- 221507	निवासी-ग्राम व पोस्ट- सहसों, प्रयागराज- 221507	संख्या- 4127 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017 , दिनांक 19 जुलाई, 2023	जौनपुर	Kesarwa ni swati28 091996 @ gmail.co m
6	33	54100 075048	रितू सिंह	W/o श्री आशुतोष कुमार सिंह	महोबा	निवासी- द्वितीय / 27, ऑफिसर्स कालोनी भातीपुरा, महोबा- 210427	निवासी- द्वितीय / 27, ऑफिसर्स कालोनी भातीपुरा, महोबा-210427	संख्या- 4320 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017 , दिनांक 28 जुलाई, 2023	उन्नाव	Dr.ritus ingh007 @ gmail.co m
7	36	54100 071918	अखलेश जैन	सतीश चन्द्र जैन	आगरा	निवासी-ग्राम- कुरगवाँ रगवाँ, नगला बाली, बरहन, ऐतमादपुर नागलाबरी, आगरा-283201	निवासी-ग्राम- कुरगवाँ रगवाँ, नगला बाली, बरहन, ऐतमादपुर नागलाबरी, आगरा- 283201	संख्या- 4458 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017 , दिनांक 31 जुलाई, 2023	मथुरा	Dr.akhal es hjain100 8@ gmail.co m
8	48	54100 065634	लक्ष्मी गौतम	बच्चूलाल गौतम	लखनऊ	एल0डी0-67-ए, डीजल सेड, रेलवे कालोनी, आलमबाग, लखनऊ-226005	एल0डी0-67- ए, डीजल सेड, रेलवे कालोनी, आलमबाग, लखनऊ- 226005	संख्या- 4059 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017 , दिनांक 19 जुलाई, 2023	सीतापुर	Lg48384 01@ gmail.co m
9	49	54100 081571	अंशु कुमार सिंह	दुर्विजय सिंह	बरेली	निवासी- 386 / 3899, महाराजपुरम कालोनी, तहसील व पोस्ट-ओनला, बरेली-243301	निवासी- 386 / 3899, महाराजपुरम कालोनी, तहसील व पोस्ट-ओनला, बरेली-243301	संख्या- 4170 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017 , दिनांक 19 जुलाई, 2023	शाहजहां पुर	Tribhuw an singh265 @ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(सर्वश्री/श्रीम सर्वश्री- ती/सुश्री)-										
10	51	54100 097013	देवेन्द्र कुमार	बाबू राम	हमीरपुर	निवासी-136, ग्राम व पोस्ट भैसाय, थाना- मुसकरा, तह0- सरीला, हमीरपुर- 210431	निवासी-136, ग्राम व पोस्ट भैसाय, थाना- मुसकरा, तह0- सरीला, हमीरपुर- 210431	संख्या- 4463/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	बांदा	Devendr ak umar001 1@ gmail.co m
11	60	54100 131061	पुष्कर मिश्रा	देवी प्रसाद मिश्र	रायबरेली	निवासी-153, सादे की बाजार, अरखा अहतमाली, ऊँचाहार रायबरेली- 229404	निवासी-153, सादे की बाजार, अरखा अहतमाली, ऊँचाहार रायबरेली- 229404	संख्या- 4173/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	प्रयागराज	Mishrap u shkar462 @ gmail.co m
12	61	54100 080712	आकांक्षा दीक्षित	W/o श्री मदन मोहन बाजपेयी	लखनऊ	निवासी-अनुपम निवास, 332ए आशुतोष नगर, कृष्णा नगर लखनऊ- 226023	निवासी-अनुपम निवास, 332ए आशुतोष नगर, कृष्णा नगर लखनऊ- 226023	संख्या- 4060/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	रायबरेली	dixlashis h@ gmail.co m
13	87	54100 101291	नम्रता मिश्रा	W/o श्री अंकुर मणि त्रिपाठी	प्रयागराज	श्री राम चन्द्र मिश्रा, 274- जी-12, न्याय विहार कॉलोनी, शेरवानी नगर सुलेमसरय, प्रयागराज- 211001	श्री राम चन्द्र मिश्रा, 274-जी- 12, न्याय विहार कॉलोनी, शेरवानी नगर सुलेमसरय, प्रयागराज- 211001	संख्या- 4128/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	कौशाम्बी	Drnaami ra tamishra 6@ gmail.co m
14	90	54100 121356	निलाद्रि भट्टाचार्य	निशीथ रंजन भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल	एल-208, डी0डी0एन0 एल0आई0जी0 फ्लैट पॉकेट सी, गौतमपुरी, सरिता विहार, साउथ दिल्ली- 110044	NISITIH RANJANBH AT TACHARY, PURBAMAR SH 1, AMARSHI, PURBAMED INI PUR, WEST BENGAL- 721454	संख्या- 5296/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	चन्दौली	Drnilad ri.007@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीम सर्वश्री- ती/सुश्री)-							
15	92	54100 068649	तुईना शमीम मो0 शमीम वाराणसी			निवासी-ए- 16/01 बी0 गंगा नगर कालोनी, भदऊ, वाराणसी- 221001	निवासी-ए- 16/01 बी0 गंगा नगर कालोनी, भदऊ, वाराणसी- 221001	संख्या- 4473/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	जौनपुर	Tuesnha meem@ gmail.co m
16	115	54100 159711	मोहम्मद जकरिया	सिबगत उल्लाह	प्रतापगढ़	आशा पैलेस, खजराना, इन्दौर एमपी0, 75, नियर तैबा एजुकेशन, खजराना इन्दौर मध्य प्रदेश-452018	निवासी-मो0 परेवा, नारायणपुर, थाना हथिगवाँ, तहसील कुण्डा, प्रतापगढ़- 229413	संख्या- 4479/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	उन्नाव	Abdullah prewa@ gmail.co m
17	116	54100 121046	उर्मिला मौर्य	W/o श्री आदित्य कुमार मौर्य	भदोही, संत रविदास नगर	कमरा नं0 36, मेजर एस0डी0 सिंह पीजी0 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, फर्रुखाबाद- 209601	निवासी- महबूबपुर कुकरौथी, संत रविदास नगर- 221401	संख्या- 5300/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	फर्रुखाबा द	Urmila 8811@ gmail.co m
18	118	54100 068224	मुकेश गुप्ता	श्रीकृष्ण गुप्ता	महोबा	निवासी-7, तुर्कियाना, तहसील- चखारी, महोबा-210421	निवासी-7, तुर्कियाना, तहसील- चखारी, महोबा- 210421	संख्या- 4353/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 28 जुलाई, 2023	झाँसी	Drmuks sh8989 @ gmail.co m
19	122	54100 131326	साकिब खां	समीउल्ला ह खां	पीलीभीत	मो0-पसियापुर, नियर बड़ा बाजार ग्राम व पोस्ट- जहानाबाद, पीलीभीत- 262001	मो0-पसियापुर, नियर बड़ा बाजार ग्राम व पोस्ट- जहानाबाद, पीलीभीत- 262001	संख्या- 5301/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	बरेली	Ksaqjb8 8@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीम सर्वश्री- ती/सुश्री)-							
20	123	54100 102819	सौम्या मिश्रा	नलिन कुमार मिश्रा	सीतापुर	अनिल सिंह, 175-न्यू सिविल लाइन, एच0पी0ओ0 हरदोई-241001	साधना बाजपेयी, 50- बी0, बिस्वां, विनोदनी हॉस्पिटल, नियर शनि देव मंदिर, बिस्वां, सीतापुर- 261201	संख्या- 4097/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	शाहजहां पुर	Dr.soum ya8884 @ gmail.co m
21	125	54100 127518	अभय कुमार प्रजापति	राम लाल	प्रतापगढ़	रमेश चन्द भोजवानी, डी0डी0ए0 एल0आई0जी0 पलैट-एम-405, गौमतपुरी, नियर-आल इंडिया इंस्टिट्यूट, साउथ दिल्ली- 110076	रामलाल, पूरे मुस्तफा खां, नियर प्राइमरी स्कूल, पूरे मुस्तफा खां, पो0-सिटी, प्रतापगढ़- 230002	संख्या- 4356/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 28 जुलाई, 2023	बरेली	Abhaypr a japati28 @ gmail.co m
22	148	54100 113366	गगनदीप कौर	W/o श्री कुणाल दुआ	प्रयागराज	निवासी-म0नं0- बी-202, स्टर्लिंग अपार्टमेंट म्योर रोड, सदर प्रयागराज- 211001	निवासी-म0नं0- बी-202, स्टर्लिंग अपार्टमेंट म्योर रोड, सदर प्रयागराज- 211001	संख्या- 4488/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	प्रतापगढ़	Saniyar .sethl@ gmail.co m
23	154	54100 051941	सुनीता	प्रहलाद	महोबा	निवासी- राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, वाराणसी, चौका घाट, नियर गाजीपुर बस स्टैंड, वाराणसी- 221001	ग्राम-तिन्दौली, पो0-सलारपुर, थाना-श्रीनगर, महोबा-210433	संख्या- 4489/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	हमीरपुर	Sunita. mini91 @ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीम ती/सुश्री)-	सर्वश्री-						
24	155	54100 056821	ममता	W/o श्री नितिन कुमार वर्मा	झाँसी	निवासी-श्री झासी लाल, 1296ए, खातीबाबा ट्यूब वैल, रोड नं-3, शिपरी बाजार झाँसी - 284003	निवासी-श्री झासी लाल, 1296ए, खातीबाबा ट्यूब वैल, रोड नं-3, शिपरी बाजार झाँसी -284003	संख्या- 4490/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	ललितपुर	Dr.mamt av erma031 2@ gmail.co m
25	156	54100 099774	प्रियंका त्रिपाठी	W/o श्री विवेकानन्द मिश्रा	चित्रकूट	निवासी-हिमाली मिश्रा, जे0-58, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, चित्रकूट- 226025	द्वारा श्री संगम लाल मिश्रा, बेलारी इटावा, चित्रकूट- 210205	संख्या- 4491/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	लखनऊ	Tripatriy anka00 @ gmail.co m
26	160	54100 108708	सौम्या जैन	W/o डा० अंकित जैन	ललितपुर	निवासी-484, तलाबपुरा, ललितपुर 284403	निवासी-484, तलाबपुरा, ललितपुर 284403	संख्या- 5305/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	आगरा	Somya3 1 895jain @ gmail.co m
27	180	54100 125389	अनुपमा सिंह	W/o श्री अविनाश कुमार सिंह	प्रतापगढ़	215, रमा सदन हॉस्पिटल, ढकवा, प्रतापगढ़- 230124	215, रमा सदन हॉस्पिटल, ढकवा, प्रतापगढ़- 230124	संख्या- 4502/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	रायबरेली	Dranupa marac@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
28	186	54100 059509	मोनिका वर्मा	W/o श्री योगेन्द्र कुमार	लखनऊ	100, जागृति बिहार आदिल नगर, कल्याणपुर वेस्ट, लखनऊ- 226022	100, जागृति बिहार आदिल नगर, कल्याणपुर वेस्ट, लखनऊ- 226022	संख्या- 4062/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	सीतापुर	Monikav erma211 9@ gmail.co m
29	190	54100 47309	प्रतिभा रामचंदानी	W/o श्री आशीष छुगनी	लखनऊ	मकान नं-436, सेक्टर-एन, पानी की टंकी, आशियाना कॉलोनी, लखनऊ- 226012	मकान नं-436, सेक्टर-एन, पानी की टंकी, आशियाना कॉलोनी, लखनऊ- 226012	संख्या- 4063/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	रायबरेली	Itspr.555 @ gmail.co m
30	197	54100 087991	संदीप पाल	श्रीपाल	हमीरपुर	निवासी-ग्राम- धुरौंधा, पो0- जलालपुर, हमीरपुर- 210432	निवासी-ग्राम- धुरौंधा, पो0- जलालपुर, हमीरपुर- 210432	संख्या- 4506/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2023	चित्रकूट	Palsand ybhu@ gmail.co m
31	209	54100 092568	कुमारी वर्षा	स्व0 बृजेश कुमार	लखनऊ	निवासी-104-ए, इन्दिरापुरी, मानस नगर निकट गौरव ज्वेलर्स, कनौसी गेट-3, के पास, कृष्णा नगर लखनऊ- 226023	निवासी-104- ए, इन्दिरापुरी, मानस नगर निकट गौरव ज्वेलर्स, कनौसी गेट- 3, के पास, कृष्णा नगर लखनऊ- 226023	संख्या- 4065/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	उन्नाव	Varsha. .20feb@ gmail.co m
32	210	54100 129853	आस्था	सुरेन्द्र कुमार	सहारनपु र	निवासी-ग्राम व पो0 मिरगपुर खास देवबद, सहारनपुर- 247554	निवासी-ग्राम व पो0 मिरगपुर खास देवबद, सहारनपुर- 247554	संख्या- 4510/96- आयुष-1-2023- 155/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2023	मुजफ्फरन गर	astha.ay 4@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीम ती/सुश्री)-	सर्वश्री-						
33	212	54100 131247	मृणालिनी सिंह	रवीन्द्र प्रताप सिंह	रायबरेली	निवासी-एल- 291, प्रगतिपुरम कालोनी, पो0 रतापुर ब्लॉक- रायबरेली- 229316	निवासी-75, ग्राम रावतपुर कलां, पो0-नीबी, सरेनी, लालगंज रायबरेली- 229316	संख्या- 4174/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	प्रयागराज	Mrinalin i singh878 @ gmail.co m
34	219	54100 076117	अपर्णा पाण्डेय	राम नरेश पाण्डेय	एटा	निवासी-67, ग्राम व पो0 बिल्सड पछाया I, अलीगंज, एटा- 207244	निवासी-67, ग्राम व पो0 बिल्सड पछाया I, अलीगंज, एटा-207244	संख्या- 4512/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2023	कांसगंज	Aparna.d iksha18 @ gmail.co m
35	226	54100 091259	पुलकित सिंह	अशोक कुमार सिंह	लखनऊ	निवासी-1- मानस नगर, जियामऊ, निकट-विश्व संवाद केन्द्र, हजरतगंज, लखनऊ- 226001	निवासी-1- मानस नगर, जियामऊ, निकट-विश्व संवाद केन्द्र, हजरतगंज, लखनऊ- 226001	संख्या- 4067/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	लखीमपुर खीरी	Drpul kit23@ gmail.co m
36	228	54100 117502	रत्ना साहू	W/o श्री सुधीर कुमार	लखनऊ	निवासी-मेन रोड कटरा, निकट भीटी तिराहा, पो0- गोसाईगंज, अयोध्या- 224141	निवासी-346 54 55 मेहंदीगंज, चौक, लखनऊ- 226003	संख्या- 4068/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	अम्बेडकर नगर	Sahura tna926@ gmail.co m
37	232	54100 078549	प्रतिमा यादव	W/o श्री अनिल कुमार पाण्डेय	मैनपुरी	निवासी-293- 394, पुराना हैदरगंज, लखनऊ- 226003	निवासी-133- 2, गली न0- 6, पंजाबी कालोनी, मैनपुरी- 205001	संख्या- 4385/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 28 जुलाई, 2023	फिरोजा बाद	Pratim ayy12@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)-	सर्वश्री-						
38	241	54100 086123	सुहैब मोहम्मद जैद	मुहम्मद शोएब काश्मी	लखनऊ	निवासी- 544 / 3073, चतुर्थ गली, शमनान गार्डन, कैम्पबेल रोड लखनऊ, 226003	निवासी- 544 / 3073, चतुर्थ गली, शमनान गार्डन, कैम्पबेल रोड लखनऊ, 226003	संख्या- 4069 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	बाराबंकी	Drszaid2 7@ gmail.co m
39	243	54100 098526	आरती यादव	W/o श्री अमित यादव	लखनऊ	निवासी-एल- 1148, विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ- 226010	निवासी-एल- 1148, विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ- 226010	संख्या- 4071 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	बाराबंकी	0522.po oja@ gmail.co m
40	246	54100 106357	अपराजिता कटियार	लल्लू सिंह कटियार	हरदोई	निवासी- बिलग्राम चुंगी, रामनगरिया, हरदोई-241001	निवासी- बिलग्राम चुंगी, रामनगरिया, हरदोई- 241001	संख्या- 4096 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	उन्नाव	Aprajita ka tyar.201 1@ gmail.co m
41	262	54100 071671	निधि गौतम	राम हित	लखनऊ	592 / सीएचएचए / 620 भीम टोला, खारिका, तेलीबाग, लखनऊ- 226025	592 / सीएचएचए / 620 भीम टोला, खारिका, तेलीबाग, लखनऊ- 226025	संख्या- 4073 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	रायबरेली	Nidhigau ta m25199 5@ gmail.co m
42	271	54100 077435	रुचि यादव	W/o श्री मनोज कुमार यादव	प्रयागराज	निवासी-ग्राम- उत्तम गिरि की चकिया, पो0- फाफमऊ, बहमलपुर, प्रयागराज- 211013	निवासी-ग्राम- उत्तम गिरि की चकिया, पो0-फाफमऊ, बहमलपुर, प्रयागराज- 211013	संख्या- 4129 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	प्रतापगढ़	Ruchidr iyadav@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीम ती/सुश्री)-	सर्वश्री-						
43	273	54100 117016	भावना रस्तोगी	नरेन्द्र कुमार रस्तोगी	लखनऊ	निवासी- 318/1 बशीरतगंज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ- 226004	निवासी- 318/1 बशीरतगंज, राजेन्द्र नगर, लखनऊ- 226004	संख्या- 4074/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	उन्नाव	Rastigib havna5 @ gmail.co m
44	276	54100 109114	पल्लवी गुप्ता	W/o श्री राजेश यादव	लखनऊ	निवासी-35 मानस नगर, जियामउ, हजरतगंज, लखनऊ- 226001	निवासी-35 मानस नगर, जियामउ, हजरतगंज, लखनऊ- 226001	संख्या- 4075/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	बाराबंकी	Pallav ig1947@ gmail.co m
45	281	54100 073244	प्रीति सक्सेना	W/o पद्म कुमार सक्सेना	शाहजहाँ पुर	निकट-गुरुकुल स्कूल, चमकानी कर्बला, शाहजहाँपुर- 242001	निकट-गुरुकुल स्कूल, चमकानी कर्बला, शाहजहाँपुर- 242001	संख्या- 4528/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	शाहजहाँपु र	Pksa09 @ gmail.co m
46	287	54100 172439	आलोक कुमार उपाध्याय	अशोक कुमार उपाध्याय	वाराणसी	निवासी-ए- 36/50 ई0 भदरू, राजघाट, वाराणसी- 221001	निवासी-ए- 36/50 ई0 भदरू, राजघाट, वाराणसी- 221001	संख्या- 4532/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	जौनपुर	Upadhya y Alk2019 @ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीम ती/सुश्री)-	सर्वश्री-						
47	289	54100	ऋचा गोयल	W/o श्री अनुराग अग्रवाल	बरेली	निवासी-19, सूर्योदय ईस्ट कालोनी, दोहरा रोड, सेक्टर-4, निकट पुलिस चौकी, रामगंगा आवास योजना, बरेली-243006	निवासी-19, सूर्योदय ईस्ट कालोनी, दोहरा रोड, सेक्टर-4, निकट पुलिस चौकी, रामगंगा आवास योजना, बरेली-243006	संख्या- 4171/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	बदायूं	Dranura g3@ gmail.co m
48	293	54100	अतुल कुमार गुप्ता	उमा कान्त गुप्ता	लखनऊ	निवासी-ई- 4013 39 सेक्टर 12 राजाजीपुरम, लखनऊ 226017	निवासी-ई- 4013 39 सेक्टर 12 राजाजीपुरम, लखनऊ 226017	संख्या- 4076/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	हरदोई	dr.atulgu pta1401 @ gmail.co m
49	297	54100	सिद्धार्थ पाल	सभा जीत पाल	लखनऊ	म0नं0-4/600, विभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010	म0नं0-32, राम आसरे पुरवा, गोमतीनगर, लखनऊ- 226010	संख्या- 4077/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	हरदोई	Sid.2390 @ gmail.co m
50	298	54100	नौशाद शेख	ताज मुहम्मद	वाराणसी	म0नं0-156, चन्दापुर, महागौंव, थाना-रोहनिया, तहसील- राजातालाब, वाराणसी- 221311	म0नं0-156, चन्दापुर, महागौंव, थाना- रोहनिया, तहसील- राजातालाब, वाराणसी- 221311	संख्या- 4535/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	जौनपुर	Nausha dboss@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री/श्रीम ती/सुश्री)–	सर्वश्री–						
51	303	54100	बिजेन्द्र कुमार	स्व0 कृपा शंकर	शाहजहां पुर	ग्राम-पुरैना पो0-सतवाँ बुजुर्ग तह0- पुवायां, शाहजहांपुर- 242401	ग्राम-पुरैना पो0-सतवाँ बुजुर्ग तह0- पुवायां, शाहजहांपुर- 242401	संख्या- 4537/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	बरेली	Sharmab ij endra366 @ gmail.co m
52	316	54100	अनुज कुमार पाल	शैलेन्द्र कुमार पाल	लखनऊ	निवासी-मकान न0-596पी 026 कश्मीरी बाग कालोनी, न्यू हैदरगंज-2, चौक, लखनऊ- 226003	निवासी-मकान न0-596पी 026 कश्मीरी बाग कालोनी, न्यू हैदरगंज-2, चौक, लखनऊ- 226003	संख्या- 4078/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	हरदोई	Anujpal 619@ gmail.co m
53	319	54100	भावना	स्व0 प्रदीप कुमार	हरियाणा	निवासी-कवार बीर, बधेव, बधेवकंडू खेरा, शामली (प्रबुद्धनगर)- 247776	निवासी-भावना, भकलाना, वी0पी0ओ0, भकलाना, हिसार, हरियाणा- 125038	संख्या- 5311/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	शामली	Bhawna doxab@ gmail.co m
54	328	54100	प्रशांत श्रीवास्तव	स्व0 बृजेश कुमार श्रीवास्तव	प्रयागराज	द्वारा-रेखा श्रीवास्तव, 1- 212 रश्मिखण्ड, अपर फ्लोर, शारदा नगर, लखनऊ- 226002	निवासी-ग्राम- यासीनपुर, बड़गाँव, तह0- सोरावं, प्रयागराज- 212502	संख्या- 4121/96 -आयुष-1- 2023- 155/201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	फतेहपुर	Prashant sriv astava00 3@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
55	329	54100 131681	भावना सारस्वत	W/o श्री राहुल सारस्वत	आगरा	म0नं0-5-ई-6, केदार नगर, शाहगंज, आगरा-282010	म0नं0-5-ई-6, केदार नगर, शाहगंज, आगरा-282010	संख्या- 4547 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	मथुरा	Saraswat bh awna12 @ gmail.co m
56	332	54100 080271	दीपांशु	विजय पाल सिंह	बुलन्दशहर	निवासी-ए-261 गली नं0-21, फेज-10, शिव विहार, नार्थ ईस्ट, दिल्ली- 110094	निवासी-135, ग्राम- खलीलपुर राठ, रहमापुर स्यावली, थाना- सलेमपुर, बुलन्दशहर- 203150	संख्या- 4548 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	मेरठ	Ranadx rajput@ gmail.co m
57	338	54100 047789	नितिन कुमार कोठारी	स्व0 अमरीश कुमार कोठारी	बिजनौर	निवासी-मकान नं0-134, ग्राम व पो0- फरीदपुर भोगी, बिजनौर- 248701	निवासी-मकान नं0-134, ग्राम व पो0-फरीदपुर भोगी, बिजनौर- 248701	संख्या- 5313 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	मेरठ	Drnitin. kothari @ gmail.co m
58	339	54100 086071	सचिन कुमार शर्मा	रघुवीर प्रसाद शर्मा	आगरा	निवासी-39- 88वीं, प्रथम तल, पुरानी ईदगाह कालोनी, आगरा-282001	निवासी-39- 88वीं, प्रथम तल, पुरानी ईदगाह कालोनी, आगरा-282001	संख्या- 4550 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	मथुरा	Sachin. s.dr@ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
59	343	54100 152295	अब्दुल कादिर	मो0 असलम	अमरोहा	निवासी-एम- 007 एलआईजी पलैट, आयुष इन्वलेव दिल्ली-110076	निवासी-25, ग्राम व पो0- पपसारी खादर, धनौरा, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा- 244231	संख्या- 5314 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	सम्भल	Abdul 75035@ gmail.co m
60	345	54100 065111	विनीता सिंह	जगदीश सिंह सोमवंशी	झाँसी	निवासी-719, नये आवास निकट डिग्री कालेज परवारिपुरा, मऊरानीपुर, झाँसी-284204	निवासी-719, नये आवास निकट डिग्री कालेज परवारिपुरा, मऊरानीपुर, झाँसी-284204	संख्या- 4420 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 28 जुलाई, 2023	हरदोई	Vini966 8@ gmail.co m
61	347	54100 108197	शालिनी सिंह कुशवाहा	W/o श्री शिवम सिंह राठौर	प्रयागराज	निवासी-सी- 2271, मिनी एलआईजी राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017	निवासी-मकान- 636 / 537ए, पीला शिवाला की गली, पुराना कटरा, प्रयागराज- 211002	संख्या- 4122 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	कौशाम्बी	Kushwa ha. shalini5 @ gmail.co m
62	348	54100 080484	लक्ष्मी गौतम	कन्हैया लाल	हरदोई	निवासी-आई-9 सर्वोदय नगर विकास भवन, लखनऊ- 226016	निवासी-ग्राम- पैरा, पो0- बालामऊ, थाना-कछौना, हरदोई-241126	संख्या- 4104 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	रायबरेली	Laxmi.k hushi92 @ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
63	351	54100	प्रियंका गुप्ता	रामचंद्र गुप्ता	वाराणसी	निवासी-एस- 9 / 454-ए, नई बस्ती, पाण्डेयपुर, वाराणसी- 221002	निवासी-एस- 9 / 454-ए, नई बस्ती, पाण्डेयपुर, वाराणसी- 221002	संख्या- 4553 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 31 जुलाई, 2023	चंदौली	Priyasa nvi752@ gmail.co m
64	357	54100	अखिलेश कुमार	सतगुरु प्रसाद	सीतापुर	निवासी-ई- 4 / 92, आम्रपाली योजना, निकट- एलपीएस, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ- 226101	निवासी-ग्राम- पंखियापुरवा मजरा, बाजनगर परगना, बहादुरनगर महोली सीतापुर- 261151	संख्या- 4100 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	लखीमपुर खीरी	Doctorak hilesh.84 @ gmail.co m
65	364	54100	अंकिता वर्मा	आर0डी0 वर्मा	हरदोई	निवासी- 3563408 46, अशोक विहार, आलमनगर, लखनऊ- 226017	निवासी- बेगमगंज, संडीला, हरदोई- 241204	संख्या- 4094 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	सीतापुर	Ankitave rmadr@ gmail.co m
66	365	54100	नितिन शर्मा	संजय शर्मा	लखनऊ	म0नं0-सी-18, विवेकानन्द पुरी, निकट- आई0टी0 कालेज, महानगर, लखनऊ- 226006	म0नं0-सी- 18, विवेकानन्द पुरी, निकट- आई0टी0 कालेज, महानगर, लखनऊ- 226006	संख्या- 4079 / 96- आयुष-1- 2023- 155 / 2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	हरदोई	Nikins19 910101 @ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
67	376	54100 067669	शाम्भवी मोहन श्रीवास्तव	सत्येन्द्र मोहन श्रीवास्तव	लखनऊ	निवासी- 2/659, रश्मि खण्ड, शारदा नगर, लखनऊ- 226002	निवासी- 2/659, रश्मि खण्ड, शारदा नगर, लखनऊ- 226002	संख्या- 4080/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 19 जुलाई, 2023	वाराणसी	Srivastav a .shambh av il995@ gmail.co m
68	380	54100 173173	अटल सिंह कुशवाह	अनिल कुशवाह	बेतुल, मध्य प्रदेश	निवासी-शास्त्री वार्ड, बाजार चौक, जिला चिचोली, बेतुल चिचोली, मध्य प्रदेश-460330	निवासी-171- बी, जे0के टाउन, कोलार रोड, हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462042	संख्या- 5319/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	ललितपु र	Atal.kus hd waha43 @ gmail.co m
69	383	54100 093187	समशेर बहादुर	नौरंग	वाराणसी	निवासी-ग्राम- चक चमरान, पो0-अनई, वाराणसी- 221201	निवासी-ग्राम- चक चमरान, पो0-अनई, वाराणसी- 221201	संख्या- 4565/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2023	गाजीपुर	Vkvikas me5S@ gmail.co m
70	388	54100 087812	राजकुमार यादव	चन्द्रभान यादव	वाराणसी	निवासी-ग्राम- विन्दा, पोस्ट- सुरही, वाराणसी- 221206	निवासी-ग्राम- विन्दा, पोस्ट- सुरही, वाराणसी- 221206	संख्या- 4567/96- आयुष-1- 2023- 155/2017, दिनांक 31 जुलाई, 2023	सोनभद्र	rajaybhu @ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
71	391	54100 088097	इन्दू यादव	यतेन्द्र सिंह यादव	फिरोजाबा द	निवासी- चन्द्रपाल सिंह यादव, अतर सिंह नगर, निकट आनन्दपुरम, शिकोहाबाद रोड, एटा- 207001	निवासी-मकान नं0-419 यादव कालोनी, एनएच-2, निकट नारायण डिग्री कालेज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद- 205135	संख्या- 5318 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 01 सितम्बर, 2023	एटा	Yadavin du392@ gmail.co m
72	396	54100 114709	ज्योति	दिनेश खरया	झाँसी	निवासी- बाजपेईपुरा, मऊरानीपुर, झाँसी-284204	निवासी- बाजपेईपुरा, मऊरानीपुर, झाँसी-284204	संख्या- 4573 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	कानपुर नगर	Jyotikh arya5@ gmail.co m
73	397	54100 017381	निरंकार गुप्ता	रमेश चन्द्र गुप्ता	लखीमपुर खीरी	निवासी-523 पूर्वी लखपेड़ा निकट थाना कोतवाली, मोहम्मदी, लखीमपुर- खीरी-262804	निवासी-523 पूर्वी लखपेड़ा निकट थाना कोतवाली, मोहम्मदी, लखीमपुर- खीरी-262804	संख्या- 4111 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	शाहजहांपु र	Gupt a2109@ gmail.co m
74	408	54100 006233	दीपक कुमार वर्मा	आर0एल0 वर्मा	लखनऊ	निवासी-म0नं0- 548 / सी-221, चन्द्रोदय नगर, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017	निवासी-म0नं0- 548 / सी-221, चन्द्रोदय नगर, राजाजीपुरम, लखनऊ- 226017	संख्या- 4081 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	हरदोई	Dv46637 @ gmail.co m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			(सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री)–	सर्वश्री–						
75	409	54100 066703	कुलदीप कुमार	इन्द्रपाल सिंह	मैनपुरी	निवासी-ग्राम- अपूरपुर, पो0- जमौरा, थाना- भोनगाँव, मैनपुरी-205262	निवासी-ग्राम- अपूरपुर, पो0- जमौरा, थाना- भोनगाँव, मैनपुरी-205262	संख्या- 4577 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 31 जुलाई, 2023	कन्नौज	Kuldee pk228@ gmail.co m
76	418	54100 050687	विकास बाजपेयी	वेद प्रकाश बाजपेयी	लखनऊ	निवासी-ग्राम व पो0-माती, लखनऊ- 226002	निवासी-ग्राम व पो0-माती, लखनऊ- 226002	संख्या- 4083 / 96 -आयुष-1- 2023- 155 / 201 7, दिनांक 19 जुलाई, 2023	हरदोई	Vikas12 3 4bajpai @ gmail.co m

आज्ञा से,
लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, ०८ अगस्त, २०२६ ई० (श्रावण १७, १९४८ शक संवत्)

भाग १-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

[AMENDMENT (ADMIN. 'G-I') SECTION]

CORRIGENDUM

Dated : April 29, 2026

No. 6112/2026/Admin. G-I/Allahabad—Corrigendum of Notification of Allahabad High Court (Amendment) Rules, 2024 [Court's Notification No. 05/VIIIc dated 16.01.2026 (Correction Slip No. 277)], published in the Official Gazette dated 14.03.2026, to the effect that:

- i. In the first paragraph of Rule 3 of Chapter I, in the “Amendment” column, the word “relationto” be read as “relation to”;
- ii. In the first paragraph of Rule 2 of Chapter XVIII, in the “Amendment” column, the word “It” be read as “it” between the words ‘as’ and ‘may’;
- iii. In the second paragraph of Rule 2 of Chapter XVIII, in both the existing and amended columns, the word “Is” be read as “is” between the words ‘and’ and ‘accompanied’;
- iv. In Rule 2(ii) of Chapter XVIII, in the “Existing” column, the word “It” be read as “it” between the words ‘as’ and ‘may’;
- v. In the Proviso of Rule 2 of Chapter XVIII, in the “Amendment” column, the word “Issued”

be read as “issued” between the words ‘be’ and ‘where’;

vi. In Sub-Rule (4) of Rule 3 of Chapter XVIII, in the “Existing” column, the word “ball” be read as “bail” between the words ‘on’ and ‘or’;

vii. In Rule 7(iii) of Chapter XVIII, in the “Existing” column, the word “requisite” be read as “requisite” between the words ‘the’ and ‘papers’;

viii. In Sub-Rule (3) of Rule 8 of Chapter XVIII, in the “Existing” column, the word “Issues” be read as “issues” between the words ‘or’ and ‘notice’;

ix. In Sub-Rule (1) of Rule 10 of Chapter XVIII, in the “Existing” column, the word “Indigence” be read as “indigence” between the words ‘to’ and ‘or’;

x. In Sub-Rule (1) of Rule 18 of Chapter XVIII, in the “Amendment” column, the word “Order” be read as “order” between the words ‘or’ and ‘appealed’;

xi. In Explanatory to Sub-Rule (1) of Rule 18 of Chapter XVIII, in both the existing and amended columns, the word “Order” be read as “order” between the words ‘the’ and ‘refusing’;

xii. In Sub-Rule (8) of Rule 18A of Chapter XVIII, in the “Amendment” column, the word “sald” be read as “said” between the words ‘The’ and ‘Rule’;

xiii. In Rule 25 of Chapter XVIII, in the “Amendment” column, the word “senterice” be read as “sentence” between the words ‘his’ and ‘should’;

xiv. In clause (v) of Rule 25(C) of Chapter XVIII, in the “Existing” column, the word “land” be read as “and”;

xv. In Sub-Rule (2) of Rule 34 of Chapter XVIII, in the “Existing” column, the word “coples” be read as “copies” between the words ‘many’ and ‘of’;

xvi. In the Proviso of Sub-Rule (2) of Rule 34 of Chapter XVIII, in the “Amendment” column, the word “coples” be read as “copies” between the words ‘or’ and ‘of’;

xvii. In Sub-Rule (B) of Rule 7 of Chapter XXIX, in the “Amendment” column, the word “In” be read as “in” between the words ‘is’ and ‘the’;

xviii. In Sub-Rule (F) of Rule 7 of Chapter XXIX, in the “Existing” column, “45-(1)” be read as “45-J(1)” between the words ‘Section’ and ‘is’;

xix. In Rule 11 of Chapter XXXV-E, in the “Existing” column, the word “ball” be read as “bail” between the words ‘give’ and ‘such’;

xx. In the Proviso of Rule 12 of Chapter XXXV-E, in the “Existing” column, the word “Instance” be read as “instance” after the word ‘first’;

xxi. In the third paragraph of Rule 12 of Chapter XXXV-E, in the “Amendment” column, the word “manrier” be read as “manner” between the words ‘the’ and ‘laid’;

xxii. In Rule 1, under heading ‘Saving’ of Chapter XLII, the word “Investigation” be read as “investigation” between the words ‘inquiry’ and ‘proceeding’;

- xxiii. In the heading 'Issue Order' of Form No. 55, the year "..... 20" be read as "20";
- xxiv. In the heading 'Issue Order' of Form No. 56, the word "aged, ..." be read as "aged ..., ".
- xxv. In the heading 'Issue Order' of Form No. 56, the word "convicted" be read as "convicted of an offence";
- xxvi. In the heading 'Initials of Judge Date' of Form No. 56, the phrase "on behalf of the prisioner" be read as "appearing on behalf of the prisioner";
- xxvii. In Form No. 58, in the fourth line, unnecessary space be deleted between the words 'day' and 'of';
- xxviii. In Form No. 58, the phrase "under section of the day of 20, of an offence" be deleted;
- xxix. In Form No. 58, the phrase "Appeal has been rejected by the Court. Application for revision" be read as "Appeal/Application for revision has been rejected by the Court.";
- xxx. In Form No. 231, in the fourth line, the word "RIULE" be read as "RULE".

(Sd.) Illegible,

Joint Registrar (J) (Inspection),
For Registrar General.

कार्यालय, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

26 फरवरी, 2024 ई0

सं0 64/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2023-24-उत्तर प्रदेश, सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बुढपुरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बुढपुरा	1115	2.934	श्रेणी-5(3)	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
					1119	4.434	बंजर	विभाग, उ०प्र० (1
					1121	0.987		रुपये प्रति एकड़
					1119मि०	0.011		प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य
					1122/2मि०	1.900		दर पर 30 वर्ष के
					1122/3	0.282		लिए पट्टे पर)
					1124/3मि०	0.210		
					1124/4मि०	0.031		
					1124/5	1.082		
					1124/8मि०	0.083		
					1124/10मि०	0.076		
					1124/20मि०	0.172		
					1124/26मि०	1.963		
					1124/29मि०	0.008		
					1124/32	0.538		
					1124/33	0.685		
					1124/34	1.240		
					1124/37मि०	1.201		
					1124/11	0.070		
					1124/13	0.058		
					1124/15	0.380		
					1124/35	0.100		
					1124/36	0.180		
					योग .	18.625		

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा0लि0 (यूपीनेडा एवं टी0एच0डी0सी0आई0एल0 के संयुक्त उपक्रम) के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा0लि0 हैदराबाद के ई-मेल पत्र दिनांक 17 अगस्त, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो0पा0 प्रा0लि0/50 मे0वा0/सरकारी भूमि लीज/2023 उत्तर प्रदेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, को ग्राम बुढपुरा तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 18.625 हे0 (46.00 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 46.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

12 मार्च, 2024 ई0

सं0 72/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-मठ तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	मठ	348	3.036 में से 2.628	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड

औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम मठ, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 73/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बसाई तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बसाई	69मि0	0.041	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					621	0.164	बंजर	
					59मि0	0.040		
					64मि0	0.046		
					71मि0	0.053		
					75मि0	0.003		
					77मि0	0.073		
					215	0.125		
					270	0.048		
					292	0.279		
					293मि0	0.008		
					417मि0	0.009		
					522मि0	0.004		
					550	0.069		
					572मि0	0.028		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बसाई	576मि0	0.008	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					628	0.053		
					635	0.144		
					646	0.032		
					648	0.073		
					73	0.089		
					94	0.040		
					309	0.093		
					290	0.063		
					271	0.037		
					588	0.012		
					572	0.896		
					567	1.053		
योग.						3.583		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम बसाई, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

14 मार्च, 2024 ई0

सं0 84/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/बीड़ा/2023-24-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-किल्यवारा खुर्द तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	किल्चवारा खुर्द	2	0.028	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					19	0.096		
					24	1.011		
					81	0.012		
					82	0.163		
					84	0.300		
					92	0.170		
					115	0.061		
					137	0.028		
					142	0.028		
					146	0.101		
						योग. . 1.995		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम किल्चवारा खुर्द, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं० 85/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/बीड़ा/2023-24-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-कोटखेरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	कोटखेरा	24	0.032	श्रेणी-5(1)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					28	0.020	बंजर	
					33ख	0.049		
					62ग	0.004		
					70	0.138		
					91	0.081		
					92ग	0.004		
					101	0.113		
					103ख	0.040		
					201	0.117		
					207	0.032		
					288ख	0.024		
					300	0.012		
					317	0.032		
					388	0.049		
					392	0.049		
					395ख	0.020		
					445	0.089		
					447	0.061		
					463	1.327		
					478	0.263		
					491ख	0.065		
					578	0.049		
					591	0.057		
					605/2	0.235		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	कोटखेरा	610ख	0.024	श्रेणी-5(1)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					660	0.215	बंजर	विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					914	0.049		विकसित करने हेतु
					939	0.028		(निःशुल्क)
					965	0.049		
					965/1148	0.004		
					969ख	0.081		
					1003	0.057		
					1027	0.397		
					1091	0.024		
					योग.	3.948		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम कोटखेरा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश, शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

15 मार्च, 2024 ई0

सं0 89/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/बीड़ा/2023-24-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-किल्चवारा बुजुर्ग तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	किल्चवारा बुजुर्ग	44 47मि०	0.024 0.024	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					71	0300		
					76	0.049		
					89	0.061		
					96	0.049		
					98	0.202		
					104	0.142		
					117	0.587		
					120	0.113		
					146	0.202		
					170	0.101		
					225	0.057		
					263	0.077		
					314	0.065		
					316	0.093		
					407	0.016		
					408	0.004		
					489	0.028		
					520	0.081		
					522	0.089		
					525	0.170		
					529	0.032		
					557	0.028		
					572	0.024		
					577	0.089		
					587	0.024		
					590	0.174		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	किल्चवारा बुजुर्ग	600	0.182	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					601	0.069		
					605मि0	0.081		
					613	0.093		
					462	0.053		
					617	0.057		
					619	0.219		
					621	0.061		
					623/800	0.162		
					745	0.093		
					746	0.036		
					760	0.041		
					761	0.097		
					764	0.061		
					773	0.057		
					158	0.008		
					223	0.190		
					461	0.012		
					योग.	4.477		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम किल्चवारा बुजुर्ग, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 92/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/बीड़ा/2023-24-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-गागौनी तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	गागौनी	141क 86ख	0.560 0.010	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
योग .						0.570		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम गागौनी, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 93/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/बीड़ा/2023-24-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-खैरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खैरा	6/2 23/3 27/2 57/3 70/4 85	0.109 0.040 0.032 0.073 0.069 0.0251	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खैरा	91	0.554	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास
					97	0.121	बंजर	प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित
					99	0.130		करने हेतु (निःशुल्क)
					101/2	0.020		
					102	0.125		
					111/2	0.012		
					118/2	0.065		
					127/2	0.134		
					132/1	0.243		
					155/2	0.077		
					166/3	0.576		
					214	0.130		
					216	0.138		
					234/2	0.081		
					248	0.101		
					249/2	0.065		
					303	0.053		
					397/2	0.060		
					330	0.085		
					500	0.085		
					योग.	3.429		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम खैरा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

18 मार्च, 2024 ई0

सं0 96/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/बीड़ा/2023-24-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-खजराहा खुर्द तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खजराहा खुर्द	6मि0 7मि0 19 33 36 47 49 74 76 79 81 96 118 167 180 182 193 208	0.053 0.073 0.045 0.028 0.142 0.255 0.146 0.065 0.057 0.073 0.036 0.045 0.049 0.551 0.085 0.049 0.036 0.125	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खजराहा खुर्द	279 288 289 305/1580 320 328 329 340 341 344 347 364मि0 367 387 422 425 432 434 435 442 444 454 457 458 1031	1.077 0.089 0.089 0.109 0.143 0.097 0.016 0.028 0.243 0.020 0.085 0.089 0.089 0.040 0.004 0.077 0.101 0.089 0.736 0.032 0.093 0.178 0.016 0.036 0.077	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
योग .						4.979		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम खजराहा खुर्द, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 97/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/बीड़ा/2023-24-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बछौनी तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बछौनी	1127	0.061	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					1072मि0	0.052	बंजर	
					1094मि0	0.036		
					1115मि0	0.017		
					1139मि0	0.121		
					1144मि0	0.198		
					243मि0	0.049		
					46मि0	0.049		
					624मि0	0.413		
					880मि0	0.191		
					889मि0	0.045		
					903मि0	0.231		
					97मि0	0.028		
					1130मि0	0.032		
					307मि0	0.178		
					429मि0	0.028		
					462मि0	0.013		
					467मि0	0.109		
					523मि0	0.007		
					योग .	1.858		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम गागौनी, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

07 मई, 2024 ई0

सं0 195/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बसाई तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित बसाई में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के निर्माण हेतु तहसील झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

क्र0	जिला	तहसील	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
		व	परगना	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसी	झाँसी	बसाई	28	0.087	श्रेणी-6-4 खलिहान के स्थान पर	86 बसाई	0.202	श्रेणी-5-3इ अन्य
					हेक्टेयर	श्रेणी-5-3 अन्य		हे0 में से	कृषि योग्य बंजर के स्थान पर
						योग.	योग.	0.090	श्रेणी-6-4 (खलिहान)
					0.087	कृषि योग्य बंजर		0.090	

अनुसूची

सं0 196/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बदनपुर तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित बदनपुर में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के निर्माण हेतु तहसील झाँसी के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसी	झाँसी	बदनपुर	88	0.275 हेक्टेयर	श्रेणी-6-1 नाला के स्थान पर श्रेणी-5-1 कृषि योग्य बंजर नई परती	601 बदनपुर	0.332 हे0 में से 0.280 हेक्टेयर	श्रेणी-5-1 नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-1 (नाला)
				योग.	0.275		योग.	0.280	

24 मई, 2024 ई0

सं0 207/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम परासई तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ-

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	परासई	40	0.162	श्रेणी-6-1	177/2	0.979	श्रेणी-5-3ड
				57	0.364	नाला के स्थान पर	110/2	0.849	अन्य कृषि योग्य
				60	0.534	श्रेणी-5-3ड अन्य	112मि0	0.417	बंजर के स्थान पर
				227	1.133	कृषि	201	0.247	श्रेणी-6-1 (नाला)
				229	0.688	योग्य	113/3	0.235	
				231	0.526	बंजर	207/2	0.202	
				291	0.028		191	0.198	
							147/3	0.182	
							174	0.178	
				योग.	3.435		योग.	3.487	

सं0 208/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम रमपुरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	झाँसी	झाँसी	रमपुरा	42	0.227	श्रेणी-6-2 रास्ता के स्थान पर श्रेणी-5-3ड	168	0.344 में से 0.230 हेक्टेयर	श्रेणी-5-3ड अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर
				योग. .	0.227	अन्य कृषि योग्य बंजर	योग. .	0.230	श्रेणी-6-2 (रास्ता)

सं0 209/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम चमरौआ तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	चमरौआ	1135	0.202	श्रेणी-6-1	1856	0.312	श्रेणी-5-3ड अन्य कृषि योग्य बंजर के स्थान पर
				1192	0.162	नाला के स्थान पर श्रेणी-5-3ड	1858	0.061	कृषि योग्य बंजर के स्थान पर
				योग. .	0.364	अन्य कृषि योग्य बंजर	योग. .	0.373	श्रेणी-6-1 (नाला)

सं0 210/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम किल्चवारा खुर्द तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
		व	परगना	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	किल्चवारा	79	0.057	श्रेणी-6-1	24मि0	0.586	में
			खुर्द	83	0.113	नाला के स्थान		से 0.	कृषि योग्य बंजर
				96	0.101	पर श्रेणी-5-3ड़		360	के स्थान पर
				98	0.061	अन्य कृषि			श्रेणी-6-1 (नाला)
				99	0.020	योग्य बंजर			
				योग. . 0.352			योग. . 0.360		

सं0 211/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम बमेर तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित ग्राम को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र०	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	बमेर	36	0.232	श्रेणी-6-1	530	0.056	श्रेणी-5-3ड अन्य
				72	0.615	नाला के स्थान पर श्रेणी-5-3ड अन्य कृषि योग्य बंजर	541मि०	0.032	कृषि योग्य बंजर के स्थान पर
							562	0.097	श्रेणी-6-1 (नाला)
							626	0.069	
							633	0.032	
							630	0.154	
							680	0.065	
							681	0.154	
							742	0.120	
							743	0.081	
				योग.	0.847		योग.	0.860	

27 मई, 2024 ई०

सं० 220/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुर्नग्रहण/2024-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-डोमागोर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	डोमागोर	227	0.077	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					235	0.044	पत्थर	विकसित करने हेतु
					254	0.024		(निःशुल्क)
					257	0.049		
					259	0.016		
					285	0.061		
					853/1018	0.081		
					877ग	0.020		
					889	0.344		
					890	0.478		
					995	0.231		
					योग.	1.425		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम डोमागोर, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं० 221/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-इमिलिया तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	इमिलिया	13	0.016	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					83	0.024	पत्थर	विकसित करने हेतु
					90	0.061		(निःशुल्क)
					91	0.263		
					545	0.275		
					556	0.154		
					562	0.065		
					738	0.032		
योग.					0.890			

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम इमिलिया, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं० 222/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-परासई तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	परासई	225/2	0.534	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					75	0.117	पत्थर	विकसित करने हेतु
					योग.	0.651		(निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम परासई, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 223/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-खजराहा खुर्द तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खजराहा खुर्द	142	1.113	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
						हेक्टेयर	पत्थर	विकसित करने हेतु
								(निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम खजराहा खुर्द, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 224/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र-संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-कोटखेरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	कोटखेरा	88	0.085	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					95	0.210	पत्थर	विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					424	0.166		विकसित करने हेतु
					428	0.178		(निःशुल्क)
					497	0.162		
					616	0.210		
					815	0.283		
					817	0.858		
					862ख	1.125		
					864	0.146		
					932	0.162		
योग.						3.585		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम कोटखेरा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 225/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बमेर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बमेर	90	0.130	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					211	0.146	पत्थर	
					483	0.971		
					683	0.049		
					685	0.640		
					686	0.032		
					699/1	0.384		
					703	0.008		
					721	0.158		
योग.						2.518		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम बमेर, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 226/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन

राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-कलोथरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	कलोथरा	77	0.065	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					78	0.150	पत्थर	
					81	0.057		
					148	0.174		
					238	0.394		
					287	1.153		
					योग.	1.993		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम कलोथरा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

25 जून, 2024 ई0

संशोधित आदेश

सं० 303/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25-इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्या-42/12ए-डी0एल0आर0सी0/2022-23 दिनांक 02 फरवरी, 2024 निम्नवत संशोधित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश, सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बैजपुर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैजपुर	42	0.274 के स्थान पर 0.247	श्रेणी-5(1) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)

05 जुलाई, 2024 ई0

सं0 329/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-राजापुर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	राजापुर	177मि०	0.028	श्रेणी-6(2) पत्थर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					175	0.020		
					180	0.049		
					197	0.049		
					481	0.271		
					1635	0.040		
योग .						0.902		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम राजापुर, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं0 330/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बदनपुर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बदनपुर	88	0.275	श्रेणी-5(3)ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम बदनपुर, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

24 जुलाई, 2024 ई0

सं0 381/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-

32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-कलौथरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	कलौथरा	77	0.065	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)
					78	0.150	पत्थर	
					81	0.057		
					148	0.174		
					238	0.394		
योग .						0.840		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम कलौथरा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं० 382/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम कलौथरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	कलौथरा	94	0.271	श्रेणी-6-2	281	6.920 में	श्रेणी-5-3ड बंजर
				144	0.065	रास्ता के स्थान पर		से 0.0340	के स्थान पर
				योग.	0.336	श्रेणी-5-3ड बंजर	योग.	0.340	श्रेणी-6-2 (रास्ता)

सं0 383/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम कलौथरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	कलौथरा	197	0.069	श्रेणी-6-1	281	6.920 में	श्रेणी-5-3ड बंजर
						नाला के स्थान पर श्रेणी-5-3ड बंजर		से 0.075 हेक्टेयर	के स्थान पर
				योग.	0.069	बंजर	योग.	0.075	श्रेणी-6-1 (नाला)

03 अगस्त, 2024 ई0

सं0 409/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र-संख्या-ई-

264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सिमरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र०	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	सिमरा	154मि०	0.230	श्रेणी-6-4	2573	0.283	श्रेणी-5-3ड बंजर
				192मि०	0.041	खलिहान के			के स्थान पर
				योग.	0.271	स्थान पर श्रेणी-5-3ड बंजर	योग.	0.283	श्रेणी-6-4 (खलिहान)

सं० 410/12ए-डी०एल०आर०सी०-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम सिमरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र०	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	सिमरा	2613मि०	0.202	श्रेणी-6-4 खेल का मैदान के स्थान पर श्रेणी-5-3ड बंजर	2366मि०	0.231	श्रेणी-5-3ड बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-4 (खेल का मैदान)

12 अगस्त, 2024 ई0

सं0 428/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र-संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम परासई तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ-

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	झाँसी	झाँसी	परासई	40	0.162	श्रेणी-6-1	177/2	0.979	श्रेणी-5-3ड बंजर
				57	0.364	नाला के स्थान	110/12	0.849	के स्थान पर
				60	0.534	पर श्रेणी-5-3ड	112मि0	0.417	श्रेणी-6-1 (नाला)
				227	1.133	बंजर	201	0.247	
				229	0.688		113/3	0.235	
				231	0.526		207/2	0.202	
				291	0.028		191	0.198	
							147/3	0.182	
							174	0.178	
				योग.	3.435		योग.	3.487	

सं0 429/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या-5303/5-264ए/2019 दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-गुढा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	गुढा	10मि०	0.004	श्रेणी-6(4)	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					15	0.291	पत्थर	विकसित करने हेतु
					49/2	1.392		(निःशुल्क)
					191/2	0.061		
					221	0.098		
					222	0.098		
					224	0.040		
					273	0.053		
योग .						2.037		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम गुढा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं० 430/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति

तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-रमपुरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	रमपुरा	42	0.227	श्रेणी-5(3)ड़ बंजर	बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) विकसित करने हेतु (निःशुल्क)

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम रमपुरा, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

13 अगस्त, 2024 ई0

सं० 432/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम इमिलिया तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	इमिलिया	34	0.308	श्रेणी-6-2	341	1.453 में	श्रेणी-5-3ड़
				87	0.004	रास्ता के		से 0.	बंजर के स्थान
				516	0.380	स्थान पर		815	पर श्रेणी-6-2
				682	0.121	श्रेणी-5-3ड़			(रास्ता)
				योग . 0.813			योग . 0.815		

सं0 433/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम इमिलिया तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	इमिलिया	185	0.182	श्रेणी-6-1	341	1.453 में	श्रेणी-5-3ड़
				210	0.170	नाला के स्थान		से 0.	बंजर के स्थान
						पर श्रेणी-5-3ड़		354	पर श्रेणी-6-1
				योग . 0.352			योग . 0.354		
						बंजर			(नाला)

सं0 434/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम इमिलिया तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	गांव	गांवसभा/स्था0निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
			व परगना	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	इमिलिया	204/746	0.077	श्रेणी-6-4	341	1.453	में
				217	0.202	बंधिया नाला		से 0.	श्रेणी-5-3ड
				302	0.045	के स्थान पर	357	354	(बंजर) के
				739	0.158	श्रेणी-5-3ड		0.206	स्थान पर श्रेणी-
						बंजर			6-4 (बंधिया)
				योग.	0.482		योग.	0.490	

सं0 435/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम इमिलिया तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	इमिलिया	228मि0	0.121	श्रेणी-6-4	349	0.223	श्रेणी-5-3ड
				230मि0	0.137	उ0प्र0 राज्य सरकार के	594	0.065	(बंजर) के स्थान
				योग. .	0.258	स्थान पर	योग. .	0.288	पर श्रेणी-6-4
						श्रेणी-5-3ड			(उ0प्र0 राज्य सरकार)
						बंजर			

सं0 436/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम खैरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	खैरा	12/3	0.336	श्रेणी-6-4	887	0.125	श्रेणी-5-3ड
				120/2	0.101	टौरिया के	29	0.272	(बंजर) के स्थान
						स्थान पर	322/2	0.100	पर श्रेणी-6-4
						श्रेणी-5-3ड			(टौरिया)
				योग. .	0.437	बंजर	योग. .	0.497	

सं0 437/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम खैरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
		व	परगना						
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	खैरा	292	0.101	श्रेणी-6-4 पाठो के स्थान पर श्रेणी-5-3ड बंजर	322/2	0.102	श्रेणी-5-3ड बंजर के स्थान पर श्रेणी-6-4 (पाठो)

सं0 438/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम खैरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या / ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	खैरा	4/6	0.016	श्रेणी-6-1	544मि0	0.910	श्रेणी-5-3ड़
				15	0.109	नाला के	166	0.567 में	(बंजर) के स्थान
				113	0.036	स्थान पर		से 0.	पर श्रेणी-6-1
				115	0.036	श्रेणी-5-3ड़		270	(नाला)
				134	0.170	बंजर			
				164	0.105				
				229	0.194				
				333	0.305				
				296/4	0.032				
				398	0.174				
				योग.	1.177		योग.	1.180	

सं0 439/12ए-डी0एल0आर0सी0-श्रेणी परिवर्तन/2024-25-उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के पत्र संख्या-ई-264/एक-1-2021 दिनांक 29 जून, 2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम खैरा तहसील झाँसी जिला झाँसी में स्थित भूमि को बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) के पक्ष में करते हुए उसके निर्वर्तन पर प्रस्तावित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ-

अनुसूची

क्र०	जिला	तहसील व परगना	गांव	गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांवसभा/स्थानीय निकाय की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या/ग्राम	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				हेक्टेयर			हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	खैरा	6/1	0.445	श्रेणी-6-4	166	0.567	में से 0.
				7	0.218	ठेका के स्थान पर	183मि०	297	श्रेणी-5-3ड (बंजर) के स्थान पर
				106/2	0.101	श्रेणी-5-3ड	887	0.461	श्रेणी-6-4
				234/2	0.239	बंजर		0.372	में से 0. (ठेका)
								247	
				योग.	1.003		योग.	1.005	

16 अगस्त, 2024 ई०

सं० 446/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुनर्ग्रहण/2024-25-उत्तर प्रदेश, सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023-रा०-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-खाड़ी तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								हेक्टेयर
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	खाड़ी	51ख	0.457	श्रेणी-5(3)ड बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा0लि0 के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा0लि0 हैदराबाद के ई-मेल दिनांक 17 अगस्त, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो0पा0 प्रा0लि0/50 मे0वा0/सरकारी भूमि लीज/2023 उत्तर प्रदेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, को ग्राम बैजपुर तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 0.457 हे0 (01.13 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 2.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

सं0 447/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25-उत्तर प्रदेश, सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बैजपुर तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बैजपुर	26	0.006	श्रेणी-5(1) बंजर	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा०लि० के 70 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट परियोजना हेतु मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर पॉवर प्रा०लि० हैदराबाद के ई-मेल दिनांक 17 अगस्त, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो०पा० प्रा०लि०/50 मे०वा०/सरकारी भूमि लीज/2023 उत्तर प्रदेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, को ग्राम बैजपुर तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023 सं०-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति० ऊ०सो०वि०/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 0.006 हे० हेतु सांकेतिक मूल्य रु० 1.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

17 अगस्त, 2024 ई०

सं० 449/12ए-डी०एल०आर०सी०/2023-24-उत्तर प्रदेश, सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023-रा०-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023 तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-बुढपुरा तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बुढपुरा	1115	2.934	श्रेणी-5(3)	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
					1119	4.434	बंजर	उ०प्र० (1 रुपये प्रति एकड़
					1121	0.987		प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर
					1119मि०	0.011		पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए
					1122/2मि०	1.900		पट्टे पर)
					1122/3	0.282		
					1124/3मि०	0.210		
					1124/4मि०	0.031		
					1124/5	1.082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	बुढपुरा	1124/8मि0	0.083	श्रेणी-5(3)	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग,
					1124/10मि0	0.076	बंजर	उ0प्र0 (1 रुपये प्रति एकड़
					1124/20मि0	0.172		प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर
					1124/26मि0	1.963		पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए
					1124/29मि0	0.008		पट्टे पर)
					1124/32	0.538		
					1124/33	0.685		
					1124/34	1.240		
					1124/37मि0	1.201		
					1124/11	0.070		
					1124/13	0.058		
					1124/15	0.380		
					1124/35	0.100		
					1124/36	0.180		
					योग .	18.625		

जनपद झाँसी में मैसर्स फोर्थ पार्टनर सोलर प्रा0लि0 हैदराबाद के ई-मेल दिनांक 17 अगस्त, 2023 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा द्वारा जारी पत्र संख्या-2920/यूपीनेडा-एसई-फोर्थ पार्टनर सो0पा0 प्रा0लि0/50 मे0वा0/सरकारी भूमि लीज/2023 उत्तर प्रदेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ दिनांक 16 जुलाई, 2023 के दृष्टिगत उपरोक्त फोर्थ पार्टनर सोलर की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, को ग्राम बुढपुरा तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023 सं0-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/अति0 ऊ0सो0वि0/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 18.625 हे0 (46.023 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु0 47.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

सं0 450/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुनर्ग्रहण/2024-25-उत्तर प्रदेश, सौर ऊर्जा नीति, 2022 एवं राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उत्तर प्रदेश, शासन राजस्व अनुभाग-1 संख्या-5/2023/प्र0स0-53/एक-1-2023-रा0-1 लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2023

तथा उत्तर प्रदेश, राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-सैना तहसील मोंठ जिला झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हेक्टेयर								
1	झाँसी	झाँसी	मोंठ	सैना	543मि०	0.846	श्रेणी-6(4) बेहड़	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र० (1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष सांकेतिक मूल्य दर पर अधिकतम 30 वर्ष के लिए पट्टे पर)

जनपद झाँसी में मैसर्स सनसोर्स एनर्जी प्रा०लि० (एसपीवी यूनिट नेम-मै० सूर्य ऊर्जा फोर प्रा०लि०) के 10 मेगावाट क्षमता की सौर पॉवर परियोजना हेतु पत्र दिनांक 12 मार्च, 2024 के क्रम में निदेशक यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ) द्वारा जारी पत्र संख्या-1547/यूपीनेडा-ओपेन एक्सेस/110/2018 दिनांक 27 जून, 2024 के दृष्टिगत मैसर्स सनसोर्स एनर्जी प्रा०लि० (एसपीवी यूनिट नेम-मै० सूर्यऊर्जा फोर प्रा०लि०) के 10 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु सरकारी भूमि अतिरिक्त स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, को ग्राम सैना तहसील मोंठ जिला झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-5/2023/प्र०स०-53/एक-1-2023 सं०-1 दिनांक 15 मार्च, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1050/87/ अति० ऊ०सो०वि०/2023, दिनांक 03 अगस्त, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार सार्वजनिक उपक्रमों हेतु 01 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से कुल 0.846 हे० (2.090 एकड़) हेतु सांकेतिक मूल्य रु० 3.00 वार्षिक किराया जमा करने पर पुनर्गृहीत भूमि राजस्व अभिलेखों में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग उत्तर प्रदेश, के नाम 30 वर्षों हेतु पट्टे पर उपलब्ध होगी। गृहीता विभाग द्वारा वार्षिक किराया प्रति वर्ष 30 वर्षों तक जमा करना होगा। उपरोक्त धनराशि लेखाशीर्षक 0029-भू-राजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ में जमा की जायेगी। यह कि आवंटित की गयी भूमि का उपयोग दिये गये प्रयोजन से भिन्न होने पर भूमि अनिवार्य रूप से वापिस ले ली जायेगी।

अविनाश कुमार,
जिलाधिकारी, झाँसी।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

16 जून, 2026 ई०

सं० 152/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका शाहनगर के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर, ग्राम-नंगला शेख में कुल 1.0764 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3- राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं -

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	अगौता	नंगला शेख	234	0.1440
2	"	"	"	"	255	0.1280
3	"	"	"	"	256	0.0512
4	"	"	"	"	257	0.2320
5	"	"	"	"	260	0.1152
6	"	"	"	"	269	0.0400
7	"	"	"	"	271	0.0050
8	"	"	"	"	272	0.0025
9	"	"	"	"	265	0.0025
10	"	"	"	"	268	0.3560
योग ...						1.0764

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल, नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

16 जून, 2026 ई0

सं0 156/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका मालागढ़ के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील बुलन्दशहर ग्राम गुठावली खुर्द में कुल 1.3328 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षे0
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	अगौता	गुठावली खुर्द	1	0.1615
2	"	"	"	"	2	0.1275

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
3	"	"	"	"	50	0.1632
4	"	"	"	"	53	0.1275
5	"	"	"	"	94	0.4250
6	"	"	"	"	106	0.1445
7	"	"	"	"	107	0.1836
योग :-						1.3328

4-अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्य सरकार/ कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल, नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR

REVENUE DEPARTMENT

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

Notification

June 16, 2026

No. 156/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr-1--Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh/Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 1.3328 hectares of land is required in Village-Guthawali Khurd, District and Tehsil-Bulandshahr for filling

the gap of Alpika Malagarh under Lakhavati branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2- There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3- The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

Schedule						
Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot Number	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1.	Bulandshahr	Bulandshahr	Agota	Guthawali Khurd	1	0.1615
2.	„	„	„	„	2	0.1275
3.	„	„	„	„	50	0.1632
4.	„	„	„	„	53	0.1275
5.	„	„	„	„	94	0.4250
6.	„	„	„	„	106	0.1445
7.	„	„	„	„	107	0.1836
Total . .						1.3328

4-Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

Note: A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,
District Magistrate,
Bulandshahr.

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

16 जून, 2026 ई०

सं० 153/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका शाहनगर के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर, ग्राम-गुठावली टीकरी में कुल 1.2835 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2- भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3- राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	अगौता	गुठावली टीकरी	285	0.1080
2	”	”	”	”	286	0.0900
3	”	”	”	”	287	0.0450
4	”	”	”	”	290	0.0200
5	”	”	”	”	271	0.0990
6	”	”	”	”	270	0.0320
7	”	”	”	”	268	0.1560
8	”	”	”	”	264	0.1425
9	”	”	”	”	252	0.1350
10	”	”	”	”	250	0.1680
11	”	”	”	”	248	0.0900

1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
12	”	”	”	”	186	0.0780
13	”	”	”	”	181	0.0570
14	”	”	”	”	185	0.0630
योग . .						1.2835

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्य सरकार/कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR

Revenue Department

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

Notification

June 16, 2026

No. 153/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr--1-Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 1.2835 hectares of land is required in Village-Guthawali Tikri, District and Tehsil-Bulandshahr for filling the gap of Alpika Shahnagar under Lakhavati Branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2- There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3- The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose -

Schedule

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot Number	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1.	Bulandshahr	Bulandshahr	Agota	Guthawali Tikri	285	0.1080
2.	"	"	"	"	286	0.0900
3.	"	"	"	"	287	0.0450
4.	"	"	"	"	290	0.0200
5.	"	"	"	"	271	0.0990
6.	"	"	"	"	270	0.0320
7.	"	"	"	"	268	0.1560
8.	"	"	"	"	264	0.1425
9.	"	"	"	"	252	0.1350
10.	"	"	"	"	250	0.1680
11.	"	"	"	"	248	0.0900
12.	"	"	"	"	186	0.0780
13.	"	"	"	"	181	0.0570
14.	"	"	"	"	185	0.0630
Total . .						1.2835

4- Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

Note: A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,
District Magistrate,
Bulandshahr.

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें**राजस्व विभाग****प्रारूप-18**

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना**[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]****अधिसूचना**

16 जून, 2026 ई०

सं० 150/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/ कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका मालागढ़ के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील-बुलन्दशहर ग्राम अखत्यारपुर में कुल 0.60605 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	अगौता	अखत्यारपुर	599	0.21505
2	”	”	”	”	602	0.17000
3	”	”	”	”	563	0.22100
योग ...						0.60605

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए राज्य सरकार/ कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR

Revenue Department

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate
Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

Notification

June 16, 2026

No. 150/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr--1-Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of 0.60605 hectares of land is required in Village-Akhtiyarpur, District and Tehsil-Bulandshahr for filling the gap of Alpika Malagarh under Lakhavati Branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2. There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3. The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose-

Schedule

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot Number	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1.	Bulandshahr	Bulandshahr	Agota	Akhtiyarpur	599	0.21505
2.	„	„	„	„	602	0.17000
3.	„	„	„	„	563	0.22100
					Total . .	0.60605

4- Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

Note: A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,
District Magistrate,
Bulandshahr.

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

राजस्व विभाग

प्रारूप-18

[नियम-20 का उप नियम (2)]

समुचित सरकार /कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

16 जून, 2026 ई०

सं० 147/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०) बुलन्दशहर-1-भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) अधीन उत्तर प्रदेश/ कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-10, बुलन्दशहर द्वारा प्रस्तावित लखावटी शाखा के अन्तर्गत अल्पिका मालागढ़ के गैप पूर्ण करने हेतु जनपद व तहसील बुलन्दशहर ग्राम लुहारली में कुल 0.1700 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2-भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार के विस्थापित होने की सम्भावना नहीं है।

3-राज्य सरकार/कलेक्टर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूचि में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	लुहारली	574	0.1700
योग ...						0.1700

4-अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्य सरकार/ कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

5-अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

6-अधिनियम की धारा-11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार तथा विक्रय / क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी
बुलन्दशहर।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, BULANDSHAHR**Revenue Department**

Form-18

[Sub-rule (2) of Rule 20]

Preliminary Notification by the Appropriate

Government / Collector

[Under Sub-section (1) of Section 11 of the Act]

Notification

June 16, 2026

No. 147/ VIII-S.L.A.O. (J.O.) Bulandshahr--1-Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Uttar Pradesh / Collector (for the purposes of the appropriate Government) is of the opinion that a total of

0.1700 hectares of land is required in Village-Luharli, District and Tehsil-Bulandshahr for filling the gap of Alpika Malagarh under Lakhavati Branch proposed by Madhya Ganga Canal Construction Block-10, Bulandshahr.

2. There is no possibility of displacement of any family due to land acquisition.

3. The State Government/Collector hereby accords its consent to notify for general information the land mentioned in the following schedule for public purpose -

Schedule

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot Number	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
1.	Bulandshahr	Bulandshahr	Bulandshahr	Luharli	574	0.1700
Total ...						0.1700

4- Directives are issued to authorize the State Government/Collector to undertake all necessary actions for the proper implementation of the Act and its associated functions.

5-Under Section 15 of the Act, any person having an interest in the land may submit a written objection to the Collector against the land acquisition within their area, within 60 days from the date of publication of the notification.

6-Under Section 11(4) of the Act, no person shall from the date of publication of the notification until the completion of the land acquisition proceedings enter into any transaction regarding, or effect the sale/purchase of, the land specified in the preliminary notification, nor create any encumbrance upon such land, without the prior approval of the Collector.

Note: A site map of the aforesaid land may be inspected at the Office of the Collector.

(Sd.) Illegible,
District Magistrate,
Bulandshahr.

जनता के प्रयोजनार्थ, भूमि नियोजन की विज्ञप्ति**प्रारूप-19**

[नियम-27 का उपनियम (11)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अधीन]

अधिसूचना

30 मई, 2026 ई०

सं० 561/आठ-अ०जि०(भू०अ०) कानपुर नगर-चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना सं०-1908/आठ-अ०जि० (भू०अ०) कानपुर नगर/दिनांक 03.12.2025, लोक प्रयोजन, अर्थात् डालमिया भारत ग्रीन विजन लि० द्वारा 2 एम०टी०ए० सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट स्थापित किये जाने हेतु जनपद-फतेहपुर तहसील बिन्दकी के ग्राम-पहुर की कुल 1.9713 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम सं०-30 सन् 2013) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई और राजकीय गजट में दिनांक 10.01.2026 को प्रकाशित की गई थी।

2. उक्त अधिनियम की धारा-15 की उप-धारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कलेक्टर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा-प्रदत्त ग्राम, तहसील और जिला में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये चिन्हित नहीं की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना सम्भाव्य नहीं है)।

3. कलेक्टर अग्रेतर उक्त अधिनियम की धारा-19 की उप-धारा (2) के अधीन इस आशय की घोषणा प्रकाशन करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिये निर्देश देते हैं। चूँकि जनपद-फतेहपुर, तहसील-बिन्दकी में 2 एम०टी०ए० सीमेन्ट ग्राइन्डिंग यूनिट स्थापित किये जाने हेतु भूमि अर्जन से किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है। अतएव पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित करने और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश के प्रकाशित किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है -

अनुसूची "क"**प्रस्तावित अर्जनाधीन भूमि**

जनपद	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
फतेहपुर	बिन्दकी	पहुर	211ग	0.0230
			223	0.1792
			224	0.4909
			225क	0.0240
			227	0.0046

1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
फतेहपुर	बिन्दकी	पहुर	298	0.1395
			299	0.0565
			300	0.0970
			303	0.0280
			305	0.2180
			353	0.1020
			354	0.3320
			355क	0.1660
			357	0.1106
कुल योग ...				1.9713

अनुसूची "ख"

विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि

जनपद	तहसील	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
				हेक्टेयर
फतेहपुर	बिन्दकी	पहुर	शून्य	शून्य

(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण किसी परिवार का विस्थापित होना संभाव्य नहीं है)

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) 37/17 वेस्टकाट भवन, माल रोड कानपुर नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
फतेहपुर।

FORM-19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of Section 19 of the Act]

NOTIFICATION*Dated : May 30, 2026*

No. 561/VIII/A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar-Since the preliminary notification No.-1908/8-A.D.M.(L.A.) Kanpur Nagar / dated 03.12.2025, under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act No. 30 of 2013) (hereinafter referred to as the said Act), regarding a total of 1.9713 hectares of land in Village-Pahur, Tehsil-Bindki, District-Fatehpur, for public purpose, *i.e.*, for setting up of 2 M.T.A. cement grinding unit by Dalmia Bharat Green Vision Ltd. was issued and published in the Official Gazette on 10.01.2026.

2. After considering the report submitted in pursuance of the provision under sub-section (2) of section-15 of the said Act, the Collector declares under Sub-section (1) of section-19 of the said Act that he is satisfied that the area of land mentioned in Schedule "A" below is necessary for public purpose and no land in the Village, Pargana and District has been identified for rehabilitation and resettlement of the displaced families as given in Schedule "B" (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

3. The Collector further directs to publish a declaration to this effect under Sub-section (2) of Section 19 of the said Act along with publishing a summary of the Rehabilitation and Resettlement Plan. Since no family is likely to be displaced due to land acquisition for setting up of 2 M.T.A. cement grinding unit in Tehsil-Bindki, District-Fatehpur, there is no need to identify any land for Rehabilitation and Resettlement or to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Plan –

SCHEDULE "A"**Land Under Proposed Acquisition**

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				<i>Hectares</i>
Fatehpur	Bindki	Pahur	211Ga	0.0230
			223	0.1792
			224	0.4909
			225Ka	0.0240
			227	0.0046
			298	0.1395
			299	0.0565
			300	0.0970

1	2	3	4	5
				<i>Hectares</i>
Fatehpur	Bindki	Pahur	303	0.0280
			305	0.2180
			353	0.1020
			354	0.3320
			355Ka	0.1660
			357	0.1106
			Total ...	1.9713

SCHEDULE "B"**(Land Marked as Settlement Area for Displaced Families)**

District	Tehsil	Village	Gata No.	Proposed area for acquisition
1	2	3	4	5
				<i>Hectare</i>
Fatehpur	Bindki	Pahur	NIL	NIL

(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

Note :- Site map of the said land can be seen in the Office of Additional, District Magistrate (Land Acquisition) 37/17 Westcott Building, Mall Road, Kanpur Nagar.

(Sd.) Illegible,
Collector,
Fatehpur.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 17, 1948 शक संवत्)

भाग-4

निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
विज्ञप्ति

दिनांक 28 जुलाई, 2026 ई०

संख्या : मा०शि०प०/परिषद्-9/मान्यता/655-सर्व साधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने अपने पत्र संख्या-1202/15-7-2025-1(27)/2022 दिनांक 22 जुलाई, 2026 के माध्यम से प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के लिए उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता के नवीन मानकों/शर्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या-2232/15-7-2022-1(27)/2022 दिनांक 26.12.2022 के संलग्नक में परिषद् विनियम के अध्याय-सात (परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता) के विनियम-9(अ)(5)(झ) के भूमि सम्बन्धी मानक, विनियम-3(क), 3(ख)(1), 3(ख)(2), 3(ख)(3), 3(ग) (छः), 3(ग)(आठ), 3(च), 5(6), 5(6)(क), 9(अ)(1), 9(अ)(2), 9(ब)(क)(1) भूमि के मानकों में लचीलापन (Land Requirements), मान्यता आवेदन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहना एवं संस्थागत स्वामित्व संबंधी परिषद् विनियम के अध्याय-सात के सुसंगत विनियमों में निम्नवत् शिथिलीकरण प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है :-

वर्तमान विनियम

प्रतिस्थापित विनियम

1

2

9(अ)(5)(झ) के पश्चात्

भूमि-विद्यालय समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा :-

9(अ)(5)(झ) के पश्चात्

भूमि-विद्यालय समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit)/सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय के नाम जिस पर विद्यालय भवन बना हो, उसका क्षेत्रफल/(एरिया) निम्नवत् होगा :-

1

(1) **शहरी क्षेत्र**—(नगर निगम/नगरपालिका/कैन्टोनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 3000 वर्गमीटर, जिसमें 1000 वर्गमीटर क्रीडास्थल होगा। क्रीडास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

(2) **ग्रामीण क्षेत्र**— में न्यूनतम 6000 वर्ग मीटर जिसमें 2000 वर्ग मीटर भूमि का क्रीडास्थल होगा। क्रीडास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

क्रीडास्थल—

एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैटमिंटन, लॉन टेनिस, ओपेन जिम्नेजियम एवं अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इनडोर गेम्स तथा शारीरिक सौष्ठव की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

3(क)

हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आनलाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 मई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 मई से 31 मई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 मई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2

(1) **शहरी क्षेत्र**—(नगर निगम/नगरपालिका/कैन्टोनमेंट/टाउन एरिया) में न्यूनतम 3000 वर्गमीटर, जिसमें 1000 वर्गमीटर क्रीडास्थल होगा। क्रीडास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है।

परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

(2) **ग्रामीण क्षेत्र**— में न्यूनतम 6000 वर्ग मीटर जिसमें 2000 वर्ग मीटर भूमि का क्रीडास्थल होगा। क्रीडास्थल विद्यालय हेतु चिन्हित भूमि से अधिकतम 200 मी0 की दूरी की परिधि में भी हो सकता है।

परन्तु यह अनिवार्य होगा कि विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क या सम्पर्क मार्ग से एक ही ओर हो, अर्थात् विद्यालय की भूमि तथा क्रीडास्थल की भूमि सड़क के आर-पार न हो।

क्रीडास्थल—

एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, खो-खो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैटमिंटन, लॉन टेनिस, ओपेन जिम्नेजियम एवं अन्य आउटडोर गेम्स के साथ इनडोर गेम्स तथा शारीरिक सौष्ठव की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।

टिप्पणी—जो संस्थायें दिनांक 26.12.2022 से पूर्व परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कर संचालित हैं, उनका क्षेत्रफल संस्था की मान्यता हेतु दिनांक 26.12.2022 के ठीक पूर्व परिषद द्वारा विहित मानक के अनुसार होगा तथा इण्टरमीडिएट नवीन वर्ग/अतिरिक्त वर्ग या अतिरिक्त विषय की मान्यता हेतु केवल अतिरिक्त कक्षा-कक्ष एवं प्रयोगशाला की उपलब्धता आवश्यक होगी।

3(क)

मान्यता आवेदन हेतु पोर्टल वर्ष भर संचालित रहेगा, जिससे संस्थान अनुपालन आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर किसी भी समय आवेदन कर सकेंगे। मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की) दिनांक 31 मई तक मान्यता के मानक/शर्तों व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये प्राप्त होता है, तो उस आवेदन/विद्यालय को अगले परीक्षा वर्ष के लिये मान्यता पर विचार किया जायेगा।

1

2

इसी प्रकार यदि मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो), के पूर्ववर्ती वर्ष की दिनांक 31 मई के बाद मान्यता के मानक/शर्तों व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये प्राप्त होता है, तो उस आवेदन/विद्यालय मान्यता के लिये अगले वर्ष विचार किया जायेगा तथा उसे मान्यता उसके अगले वर्ष अर्थात् आवेदन के दूसरे वर्ष प्राप्त हो सकेगी।

3(ख)(1)

15 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची-31 मई तक

3(ख)(2)

31 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 10 जून तक

3(ख)(3)

ऑनलाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

जाँच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त।

ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक ऑनलाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक ऑनलाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

3(ख)(1)

विखण्डित

3(ख)(2)

31 मई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची 10 जून तक।

3(ख)(3)

ऑनलाइन प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों का आवेदन करने की तिथि के वरीयता क्रम में संस्था का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा तथा उसी क्रम में स्थलीय निरीक्षण आख्या परिषद के सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

जाँच समिति द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात् जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 20 अगस्त।

ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 15 जून तक परिषद विनियमों में मान्यता हेतु निर्धारित मानक/शर्तों के अनुसार परीक्षण किया जायेगा तथा आवेदित मान्यता में कोई कमी अथवा विसंगति पाये जाने पर सम्बन्धित संस्थाधिकारी को दिनांक 30 जून तक ऑनलाइन सूचित करेगा। संस्थाधिकारी द्वारा इंगित कमियों की पूर्ति विषयक आख्या दिनांक 31 जुलाई तक ऑनलाइन जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपर्युक्त निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

1

2

3(ग)(छः)

विलम्ब शुल्क—रूपये 20,000।

3(ग)(आठ)

राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।

3(च)

मान्यता आवेदन के साथ संस्था के संचालन हेतु पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित 'विद्यालय संचालन योजना' प्रस्तुत करनी होगी। संस्था की एक प्रबंध समिति होगी जिसमें विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, अभिभावक, पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी से नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। 'विद्यालय संचालन योजना' में संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन की व्यवस्था तथा पदाधिकारियों के अधिकार, दायित्व एवं कार्य का स्पष्ट उल्लेख होगा।

5(6)

संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/ भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय/समिति/ट्रस्ट/ कम्पनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) नाम होने का निजी स्वामित्व के संबंध में रजिस्ट्री (बैनामा/ दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी, जो भू-राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

समिति/ट्रस्ट/कम्पनी (Not for Profit) द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा(क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।

3(ग)(छः)

विखण्डित।

3(ग)(आठ)

राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष पत्र का चालू वित्तीय वर्ष अथवा उससे पूर्व के वित्तीय वर्ष का होना आवश्यक होगा।

3(च)

मान्यता आवेदन के साथ संस्था के संचालन हेतु पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी/सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय की साधारण सभा द्वारा अनुमोदित 'विद्यालय संचालन योजना' प्रस्तुत करनी होगी। संस्था की एक प्रबंध समिति होगी जिसमें विद्यालय के प्रधान, शिक्षक, अभिभावक, पंजीकृत समिति/ ट्रस्ट/ कम्पनी/ सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय से नामित सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा। 'विद्यालय संचालन योजना' में संस्था के मामलों के प्रबन्ध और संचालन की व्यवस्था तथा पदाधिकारियों के अधिकार, दायित्व एवं कार्य का स्पष्ट उल्लेख होगा।

5(6)

संस्था हेतु उपलब्ध भूमि भवन तथा कक्षाओं के लिए स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/ भवन/क्रीडा स्थल विद्यालय/समिति/ट्रस्ट/ कम्पनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit)/सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय के नाम होने का (निजी स्वामित्व के संबंध में) रजिस्ट्री (बैनामा/दानपत्र) की प्रमाणित छायाप्रति तथा खतौनी, जो भू-राजस्व अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

समिति/ट्रस्ट/कम्पनी (Not for Profit)/ सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय द्वारा विद्यालय को प्रदत्त भूमि का रकबा (क्षेत्रफल सहित) का प्रस्ताव एवं शपथ-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जो नोटरी द्वारा मूल रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो) संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। पूर्व में मान्यता प्राप्त सहायता एवं असहायता प्राप्त विद्यालय को यथेष्ट प्रमाण भूमि/ भवन के संबंध में प्रस्तुत करना होगा।

1

विद्यालयों को मान्यता 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी दी जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि लीज डीड विद्यालय संचालन के लिए होगी। इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। संस्थाधिकारी द्वारा लीज डीड समाप्त होने से पूर्व उसका नवीनीकरण निर्धारित अवधि के लिए पुनः कराया जायेगा। लीज डीड समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

नोट—नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5(6)(क)

मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट अथवा कम्पनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी (Not for Profit) द्वारा किया जायेगा, उनमें सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी के सदस्यों द्वारा संस्था को संचालित करने के लिए विद्यालय संचालन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।

2

विद्यालयों को मान्यता 30 वर्ष की रजिस्टर्ड लीज डीड पर भी दी जा सकती है। प्रतिबन्ध यह है कि लीज डीड विद्यालय संचालन के लिए होगी। इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा। संस्थाधिकारी द्वारा लीज डीड समाप्त होने से पूर्व उसका नवीनीकरण निर्धारित अवधि के लिए पुनः कराया जायेगा। लीज डीड समाप्त होने की दशा में संस्था की मान्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

नोट—नगर क्षेत्र/टाउन एरिया/कैन्टोनमेंट बोर्ड के विद्यालयों के संबंध में निजी भूमि का खसरा सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र क्षेत्रफल सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5(6)(क)

मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का संचालन सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अधीन गठित सोसाइटी अथवा पंजीकृत ट्रस्ट अथवा कम्पनी अधिनियम-2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit)/सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय द्वारा किया जा सकता है। जिन संस्थाओं का संचालन सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी (Not for Profit)/सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय द्वारा किया जायेगा, उनमें सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी/सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा संस्था को संचालित करने के लिए विद्यालय संचालन योजना के अधीन प्रबन्ध समिति के गठन हेतु अपने स्तर से पदाधिकारियों एवं सदस्यों को नामित किया जायेगा, किन्तु ऐसे नामित पदाधिकारियों एवं सदस्यों को संस्था के संदर्भ में सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी/सांविधिक निकाय/स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय की मूल भावना के विपरीत कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।

1

2

9(अ)(1)

पंजीकरण—समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम— 2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

9(अ)(2)

विद्यालय संचालन योजना—पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी द्वारा विद्यालय संचालन योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9(ब)(क)(1)

पंजीकरण—समिति/ट्रस्ट/कम्पनी अधिनियम —2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (**Not for Profit**) का पंजीकृत तथा यथास्थिति नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

9(अ)(1)

पंजीकरण—समिति/ट्रस्ट/ सांविधिक निकाय/ स्वायत्तशासी निकाय/सार्वजनिक उपक्रम/ स्थानीय निकाय/कम्पनी अधिनियम—2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) का यथास्थिति अधिसूचित/पंजीकृत/नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

9(अ)(2)

विद्यालय संचालन योजना—पंजीकृत समिति/ट्रस्ट/कम्पनी/ सांविधिक निकाय/ स्वायत्तशासी निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय द्वारा विद्यालय संचालन योजना प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9(ब)(क)(1)

पंजीकरण—समिति/ट्रस्ट/ सांविधिक निकाय/ स्वायत्तशासी निकाय/ सार्वजनिक उपक्रम/ स्थानीय निकाय/कम्पनी अधिनियम—2013 के अध्याय 8 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी (Not for Profit) यथास्थिति अधिसूचित/ पंजीकृत/ नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।

भगवती सिंह,
सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 17, 1948 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-तारीख 04 नवम्बर, 2024 ई०
कार्तिक 13, 1946 (शक)

अधिसूचना

सं० 82/उ०प्र०.वि०प०/11/24/2024.बी०ई०-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए सदस्य के रूप में श्री योगेश चौधरी के निर्वाचन को प्रश्रंस्कित करने वाली '2024 की निर्वाचन याचिका संख्या 11, प्रहलाद सिंह बनाम योगेश चौधरी' में इलाहाबाद स्थित उच्च न्यायालय के दिनांक 30 सितंबर, 2024 के आदेश को एतद्वारा प्रकाशित करता है।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
चन्द्र शेखर,
विशेष सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated 04th November, 2024

Kartika 13, 1946 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/UP-LC/11/24/2024-BE—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the Election Commission hereby publishes the Order dated: 30.09.2024 of the High Court of Judicature at Allahabad in the ‘Election Petition No. 11 of 2024, Prahlad Singh vs Yogesh Chaudhary’, calling in question the election of Shri Yogesh Chaudhary as Member of the Legislative Council of Uttar Pradesh by the Members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly-

By Order,
SUMAN KUMAR DAS,
Secretary,
Election Commission of India.

By Order,
CHANDRA SHEKHAR,
Special Secretary.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD**CIVIL SIDE****ORIGINAL JURISDICTION**

DATED ALLAHABAD THE : 30.09.2024

PRESENT

THE HON’BLE SAMIT GOPAL

.... JUDGE.

ELECTION PETITION NO. 11 OF 2024

ORDER ON THE PETITION OF PRAHLAD SINGH

.... Petitioner.

IN RE:

Prahlad Singh Son of Shri Girraj Singh Resident of Jareliya Sehu Patti Police Station Nauhjeel,

District Mathura

Respondent

VERSUS

Yogesh Chaudhary Son of Kare Singh, Resident of Shivaji Nagar Bajna, Police Station Nauhjeel, District Mathura

.... Election Petitioner.

Counsel for the Petitioner : Sri Amit Kuamr Pandey, In Person

Counsel for the Respondent :

AFR

Neutral Citation No.-2024:AHC:160000

Reserved on: 21.09.2024

Delivered on: 30.09.2024

Court No. – 64

Case :- ELECTION PETITION No. - 11 of 2024

Petitioner :- Prahlad Singh

Respondent :- Yogesh Chaudhary

Counsel for Petitioner :- Amit Kumar Pandey, In Person

Hon'ble Samit Gopal, J.

1. Heard Sri Amit Kumar Pandey, learned counsel for the petitioner and perused the records.

2. The present election petition has been filed by the petitioner- Prahlad Singh challenging the election of returned candidate Yogesh Chowdhary (the respondent) as a Member of Legislative Council and that the same be set-aside and be declared null & void.

3. The case of the petitioner is that the returned candidate / respondent Yogesh Chaudhary has been declared as an elected person of the U.P. Legislative Council by the Returning Officer, a certificate dated 14.03.2024 has been issued to the said effect.

4. The present election has been presented on 30.07.2024 before the Registrar General of this Court. The petition has been filed beyond time by 92 days.

5. Section 81 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as 'The Act, 1951') reads as under:-

"81. Presentation of petitions. –

(1) An election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in sub-section (1) of section 100 and section 101 to the High Court by any candidate at such election or any elector within forty-five days from, but not earlier than the date of election of the returned candidate or if there are more than one returned candidate at the election and dates of their election are different, the later of those two dates.

Explanation.—In this sub-section, "elector" means a person who was entitled to vote at the election to which the election petition relates, whether he has voted at such election or not.

*(2) [***]*

(3) Every election petition shall be accompanied by as many copies thereof as there are respondents mentioned in the petition and every such copy shall be attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of the petition."

6. Section 86 of the Act, 1951 reads as under:-

"86. Trial of election petitions.—

(1) The High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of section 81 or section 82 or section 117.

Explanation.—An order of the High Court dismissing an election petition under this sub-section shall be deemed to be an order made under clause (a) of section 98.

(2) As soon as may be after an election petition has been presented to the High Court, it shall be referred to the Judge or one of the Judges who has or have been assigned by the Chief Justice for the trial of election petitions under sub-section (2) of section 80A.

(3) Where more election petitions than one are presented to the High Court in respect of the same election, all of them shall be referred for trial to the same Judge who may, in his discretion, try them separately or in one or more groups.

(4) Any candidate not already a respondent shall, upon application made by him to the High Court within fourteen days from the date of commencement of the trial and subject to any order as to security for costs which may be made by the High Court, be entitled to be joined as a respondent.

Explanation.—For the purposes of this sub-section and of section 97, the trial of a petition shall be deemed to commence on the date fixed for the respondents to appear before the High Court and answer the claim or claims made in the petition.

(5) The High Court may, upon such terms as to costs and otherwise as it may deem fit, allow the particulars of any corrupt practice alleged in the petition to be amended or amplified in such manner as may in its opinion be necessary for ensuring a fair and effective trial of the petition, but shall not allow any amendment of the petition which will have the effect of introducing particulars of a corrupt practice not previously alleged in the petition.

(6) The trial of an election petition shall, so far as is practicable consistently with the interests of justice in respect of the trial, be continued from day to day until its conclusion, unless the High Court finds the adjournment of the trial beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

(7) Every election petition shall be tried as expeditiously as possible and endeavour shall be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court for trial."

7. As per Section 81 of the Act, 1951 an election petition may be presented to the High Court within 45 days from, but not earlier than the date of election of the returned candidate or if there are more than one returned candidate at the election and dates of their election are different, the later of those two dates.

8. The present petition has been filed beyond a period of 92 days as prescribed in Section 81 of the Act, 1951.

9. Section 86 (1) of the of the Act, 1951 provides that the High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of Section 81 or Section 82 or Section 117 of the Act.

10. Learned counsel for the petitioner submitted that the respondent while disclosing & explaining his criminal antecedents in Format C-2 although disclosed 06 cases to be pending against him but did not disclose 01 other criminal case of which a complaint dated: 05.10.2006 was filed by one Giriraj Singh against Giriraj Singh and 11 others for offences under Sections 420, 467, 468, 471, 120-B, 504, 506 I.P.C. in which the respondent is an accused at serial no. 3 which is pending trial before the court concerned. It is submitted that on coming to know about the same, the petitioner sent a complaint dated: 29.03.2024 to the Chief Election Commissioner, Election Commission of India, New Delhi informing him about the same which has been delivered to him but no action has been taken. It is further submitted that subsequently the petitioner filed a petition being Writ-C No. 19843 of 2024 (Prahlad Singh Vs. Union of India and 3 others) which has been dismissed *vide* order dated: 05.06.2024 by a Division Bench of this Court with an observation that if the petitioner was aggrieved by the election of the elected person, he can challenge the election as per the constitutional mandate by means of an election petition. The said order reads as under:-

"1. The petitioner is aggrieved by the election of the respondent no.4 as a member of the legislative council.

2. Learned counsel for the petitioner states that he had represented to the Chief Election Commissioner, New Delhi with regard to the wrong information, which was provided by the respondent no.4 in the Format-C2, while he was filling his nomination.

3. Learned counsel appearing for the Election Commission, Shri Jitendra Ojha and Additional Chief Standing Counsel, Shri Rajeev Gupta relying upon the Article 329 of the Constitution of India submitted that if any person is aggrieved by any Election, then he can challenge the same by means of any election petition.

4. *In the instant writ petition the petitioner was aggrieved by the election of an elected person (respondent no.4). He can challenge the election as per the constitutional mandate by means of an election petition.*

5. *Having heard the learned counsel for the parties, we are definitely of the view that no interference is warranted in the instant writ petition.*

6. *Accordingly, the writ petition is dismissed."*

11. It is submitted next that the petitioner then again sent a complaint dated: 12.07.2024 to the Election Officer, Vidhan Sabha Secretariat, Lucknow, U.P. informing him about the same with the prayer to take appropriate action. It is submitted that the present election petition has thus been filed without any delay. Learned counsel for the petitioner has further placed before the Court judgement of a learned Senior Judge of the Guwahati High Court at Guwahati in the case of *Nijam Uddin Choudhury Vs. Aftab Uddin Laskar : Case No. : I.A. (Civil) / 1984 / 2023, decided on 16.10.2023* and while placing para 15 of the same has submitted that the issue of limitation has to be determined as a preliminary issue under Order XIV Rule 2 Code of Civil Procedure. It is submitted that as such in so far as the question of limitation is concerned, the present petition be entertained, notice be issued to the respondent and the matter be heard and decided on its merit.

12. The Act, 1951 is a Code in itself. It provides the period of limitation within which an election petition has to be filed in Section 81. Section 86 (1) of it deals with the issue where the provision of Section 81 has not been complied with. The Act specifically states that the High Court shall dismiss the petition which does not comply with the provisions of Section 81 of the Act, 1951.

13. There is no provision in the Act, 1951 for considering the period of limitation. There is nothing in the Act, 1951 which gives powers for condonation of delay, if any, and the extension of the period of limitation. The time prescribed for presentation of an election petition is provided specifically in Section 81 of the Act, 1951. The judgement in the case of **Nijam Uddin** (*supra*) as is being relied upon by the learned counsel for the petitioner is distinguishable in as much as the presentation of the present petition beyond 92 days is an admitted fact and as such nothing lay to be decided on the said fact. The case relied upon by the learned counsel for the petitioner has a different fact in as much as the fact about limitation was in dispute therein. The issue with regard to a delayed presentation of an election petition which arises in the present petition is an admitted fact and is no more *res integra*.

14. The Apex Court in the case of **Hukumdev Narain Yadav Vs. Lalit Narain Mishra: (1974) 2 SCC 133** has held regarding the question of applicability of Section 5 of the Limitation Act to an election petition. It was held as under:

"16. In K. Venkateswara Rao v. Bekkam Narasimha Reddi [AIR 1969 SC 872 : (1969) 1 SCR 679 : (1969) 2 SCJ 505] to which we shall refer more fully later, Vidyacharan Shukla case was attempted to be pressed into service, but this Court repelled it and observed at pp. 688-689:

"In our view, the situation now obtaining in an appeal to this Court from an order of the High Court is entirely different. There is no Section in the Act as it now stands which equates an order made by the High Court under Section 98 or Section 99 to a decree passed by a civil court subordinate to the High Court. An appeal being a creature of a statute, the rights conferred on the appellant must be found within the four corners of the Act. Sub-section (2) of the present Section 116-A expressly gives this Court the discretion and authority to entertain an appeal after the expiry of the period of thirty days. No right is however given to the High Court to entertain an election petition which does not comply with the provisions of Section 81, Section 82 or Section 117."

17. Though Section 29(2) of the Limitation Act has been made applicable to appeals both under the Act as well as under the Code of Criminal Procedure, no case has been brought to our notice where Section 29(2) has been made applicable to an election petition filed under Section 81 of the Act by virtue of which either Sections 4, 5 or 12 of the Limitation Act has been attracted. Even assuming that where

a period of limitation has not been fixed for election petitions in the Schedule to the Limitation Act which is different from that fixed under Section 81 of the Act, Section 29(2) would be attracted, and what we have to determine is whether the provisions of this Section are expressly excluded in the case of an election petition. It is contended before us that the words "expressly excluded" would mean that there must be an express reference made in the special or local law to the specific provisions of the Limitation Act of which the operation is to be excluded. As usual the meaning given in the Dictionary has been relied upon, but what we have to see is whether the scheme of the special law, that is in this case the Act, and the nature of the remedy provided therein are such that the Legislature intended it to be a complete code by itself which alone should govern the several matters provided by it. If on an examination of the relevant provisions it is clear that the provisions of the Limitation Act are necessarily excluded, then the benefits conferred therein cannot be called in aid to supplement the provisions of the Act. In our view, even in a case where the special law does not exclude the provisions of Sections 4 to 24 of the Limitation Act by an express reference, it would nonetheless be open to the Court to examine whether and to what extent the nature of those provisions or the nature of the subject-matter and scheme of the special law exclude their operation. The provisions of Section 3 of the Limitation Act that a suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed are provided for in Section 86 of the Act which gives a peremptory command that the High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of Sections 81, 82 or 117. It will be seen that Section 81 is not the only Section mentioned in Section 86, and if the Limitation Act were to apply to an election petition under Section 81 it should equally apply to Sections 82 and 117 because under Section 86 the High Court cannot say that by an application of Section 5 of the Limitation Act, Section 81 is complied with while no such benefit is available in dismissing an application for non-compliance with the provisions of Sections 82 and 117 of the Act, or alternatively if the provisions of the Limitation Act do not apply to Section 82 and Section 117 of the Act, it cannot be said that they apply to Section 81. Again Section 6 of the Limitation Act which provides for the extension of the period of limitation till after the disability in the case of a person who is either a minor or insane or an idiot is inapplicable to an election petition. Similarly, Sections 7 to 24 are in terms inapplicable to the proceedings under the Act, particularly in respect of the filing of election petitions and their trial."

15. Further in the case of **Charan Lal Sahu Vs. Nandkishore Bhatt : (1973) 2 SCC 530** it has been held by the Apex Court that there is no question of any common law right to challenge an election and as such any discretion to challenge the delay in presentation of the petition or absolve the petitioner from the payment of security for costs can only be provided under the statute governing election disputes and if no such discretion was conferred in respect of any of these matters none can be exercised under any general law or any principles of equality and if for non-compliance of the provisions of Section 82 and 117 which is mandatory, the election petition has to be dismissed under Section 86 (1) of the Act 1951, presentation of election petition within the period prescribed in Section 81 of the Act 1951 would be equally mandatory, non-compliance of which visits the penalty of the petition being dismissed, it was held, for all the reasons mentioned, therein that provisions of Section 5 of the Limitation Act do not govern the filing of election petitions or their trial. The Apex Court held as under:-

"3. The right to challenge an election is a right provided by Article 329(b) of the Constitution of India, which provides that no election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate Legislature. The right conferred being a statutory right, the terms of that statute had to be complied with. There is no question of any common law right to challenge an election. Any discretion to condone the delay in presentation of the petition or to absolve the petitioner from payment of security for costs can only be provided under the statute governing election disputes. If no discretion is conferred in respect of any of these matters, none can be exercised under any general law or on any principle of equity. This Court has

held that the right to vote or stand as a candidate for election is not a civil right but is a creature of statute or special law and must be subject to the limitations imposed by it. In N.P. Ponnuswami v. Returning Officer, Namakkal Constituency [(1952) 1 SCC 94 : AIR 1952 SC 64 : 1952 SCR 218 : 1952 SCJ 100 : 1 ELR 133] it was pointed out that strictly speaking, it is the sole right of the Legislature to examine and determine all matters relating to the election of its own members, and if the Legislature takes it out of its own hands and vests in a special tribunal an entirely new and unknown jurisdiction, that special jurisdiction should be exercised in accordance with the law which creates it."

16. Further the Apex Court in the case of ***Hari Shankar Tripathi Vs. Shiv Harsh : (1976) 1 SCC 897*** has held as under:-

"6. To begin with we would first deal with the case of Hukumdev Narain Yadav. What had happened in that case was that the election petition was filed on March 20, 1972 instead of being filed on Saturday, March 18, 1972 which was the last day on which the limitation expired. The election petitioner sought to cross the bar of limitation on the ground that Saturday not being a working day of the court, the petitioner was entitled to file the petition on the next working day, namely, Monday. This Court on a consideration of various factors negated this contention and held that even though the judges of the High Court did not usually sit on Saturdays it was undoubtedly a working day of the court and it could not be said that the court was observing a closed holiday on Saturday. After referring to a large number of decisions and traversing various provisions of the Limitation Act, this Court observed as follows: [SCC pp. 142-43, 151, paras 11, 25]

"for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law, the provisions contained in Sections 4, 9 to 18 and 22 shall apply only insofar as, and to the extent to which, they are not expressly excluded by such appeal or local law.

For all these reasons we have come to the conclusion that the provisions of Section 5 of the Limitation Act do not govern the filing of election petitions or their trial and, in this view, it is unnecessary to consider whether there are any merits in the application for condonation of delay."

This Court accordingly held that Section 4 as also Section 5 of the Limitation Act had no application to the election petitions on the true interpretation of Section 29(2) of the Limitation Act. The Court also held on a reading of Rules 6 and 7 with Rule 26 of the Patna High Court Rules that even though the Judges were not sitting on Saturdays the election petition could be presented on a Saturday to the Registrar or other officers as envisaged by Rule 26 of the Patna High Court Rules. In the instant case, however, the period of limitation provided by Section 81(1) of the Representation of the People Act appears to have expired during the summer vacation which according to the notification of the Allahabad High Court was declared to be a closed holiday. By virtue of the notification of the Allahabad High Court dated September 22, 1973 when the High Court Calendar for 1974 was approved by the Court after inviting objections from the members of the public, a list of days had been mentioned to be treated as closed holidays. The last part of this notification runs thus:

List of days to be observed as closed holiday in the High Court of Judicature at Allahabad during the year 1974.

In view of this notification, therefore, the legal position would be that the summer vacation, namely, the period starting from May 25 and ending on July 7, 1974, would be deemed to be closed holidays in the High Court. Thus it follows that June 14, 1974, which fell within this period would also be a closed holiday. If, therefore, the period of limitation under Section 81 of the Representation of the People Act expired on June 14, 1974 which being a closed holiday right upto July 7, 1974, then Section 10, of the General Clauses Act would apply in terms and the appellant would be fully justified in filing the

petition on July 8, 1974 when the court reopened after the summer vacation. The relevant portion of Section 10 of the General Clauses Act runs thus:

“10.(1) Where, by any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any Court or office on a certain day or within a prescribed period, then, if the Court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the Court or office is open:

Provided that nothing in this section shall apply to any act or proceeding to which the Indian Limitation Act, 1877, applies.” Analysing the section it would appear that the following conditions must be satisfied before a litigant may take advantage of the protection of Section 10 of the General Clauses Act:

“(1) that any act or proceeding is allowed to be done or taken in any court or office on a particular day or a prescribed period;

(2) that if the court or office is closed on that day or the last day of prescribed period then the act or proceeding will be deemed to have been taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open.”

The proviso to Section 10 makes these provisions inapplicable to cases where the Limitation Act applies. In the instant case which arises out of the election petition it is manifest from the judgment of this Court on Hukumdev Narain Yadav that the provisions of Sections 4 and 5 of the Limitation Act do not apply. It is also clear from the notification of the High Court referred to above that the entire period of the summer vacation starting from May 25 to July 7, 1974, was a closed holiday. Thirdly the period of limitation prescribed by Section 81(1) of the Representation of the People Act expired on June 14, 1974 during the summer vacation. In these circumstances the inescapable conclusion would be that Section 10 of the General Clauses Act would apply in terms and the appellant would be entitled to file the election petition on July 8, 1974 as he did.”

17. Further the Apex Court in the case of **Lachhman Das Arora Vs. Ganeshi Lal : (1999) 8 SCC 532** has held as under:-

“7. On its plain reading, Section 81(1) lays down that an election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in sub-section (1) of Section 100 and Section 101 of the Act to the High Court by any candidate at such election or by an elector within forty-five days from, but not earlier than, the date of election of the returned candidate, or if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates. The Act is a special code providing a period of limitation for filing of an election petition. No period for filing of an election petition is prescribed under the Indian Limitation Act. The Act insofar as it relates to presentation and trial of election disputes is a complete code and a special law. The scheme of the special law shows that the provisions of Sections 4 to 24 of the Indian Limitation Act do not apply. If an election petition is not filed within the prescribed period of forty-five days, Section 86(1) of the Act, which provides that the High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of Section 81 or Section 82 or Section 117, is straightaway attracted.”

18. Further the Apex Court in the case of **Suman Devi Vs. Manisha Devi : (2018) 9 SCC 808** has held as under:-

“7. In Hukumdev Narain Yadav v. Lalit Narain Mishra [Hukumdev Narain Yadav v. Lalit Narain Mishra, (1974) 2 SCC 133] , while considering whether the provisions of the Limitation Act, 1963

would be applicable to an election petition under the Representation of the People Act, 1951, P. Jaganmohan Reddy, J., speaking for a three-Judge Bench of this Court held thus : (SCC p. 147, para 18)

“18. ...The applicability of these provisions has, therefore, to be judged not from the terms of the Limitation Act but by the provisions of the Act relating to the filing of election petitions and their trial to ascertain whether it is a complete code in itself which does not admit of the application of any of the provisions of the Limitation Act mentioned in Section 29(2) of that Act.”

This Court held that the provisions of Section 5 of the Limitation Act do not govern filing of election petitions or their trial.

8. In *Charan Lal Sahu v. Nandkishore Bhatt* [*Charan Lal Sahu v. Nandkishore Bhatt*, (1973) 2 SCC 530] , a two-Judge Bench held that there is no common law right to challenge an election since it is purely a matter of regulation by the terms of the statute. The right being statutory, the terms of the statute must be complied with.

9. A three-Judge Bench of this Court in *Lachhman Das Arora v. Ganeshi Lal* [*Lachhman Das Arora v. Ganeshi Lal*, (1999) 8 SCC 532] , construed the provisions of Section 81(1) of the Representation of the People Act, 1951, which prescribes a period of 45 days to file an election petition. Dr A.S. Anand, C.J. speaking for the Court, held thus : (SCC pp. 535-36, para 7)

“7. On its plain reading, Section 81(1) lays down that an election petition calling in question any election may be presented on one or more of the grounds specified in sub-section (1) of Section 100 and Section 101 of the Act to the High Court by any candidate at such election or by an elector within forty-five days from, but not earlier than, the date of election of the returned candidate, or if there are more than one returned candidates at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates. The Act is a special code providing a period of limitation for filing of an election petition. No period for filing of an election petition is prescribed under the Indian Limitation Act. The Act insofar as it relates to presentation and trial of election disputes is a complete code and a special law. The scheme of the special law shows that the provisions of Sections 4 to 24 of the Indian Limitation Act do not apply. If an election petition is not filed within the prescribed period of forty-five days, Section 86(1) of the Act, which provides that the High Court shall dismiss an election petition which does not comply with the provisions of Section 81 or Section 82 or Section 117, is straightaway attracted.”

(emphasis in original)

19. The High Court while hearing an election petition operates as an Authority under Article 329 (b) of the Constitution of India whose jurisdiction is circumscribed by the statutory provisions as per the Act, 1951.

20. The Apex Court in the case of ***Thampanoor Ravi Vs. Charupara Ravi : (1999) 8 SCC 74*** has thus held that a High Court hearing an election petition does not function as a Constitutional Court *per se* nor does it have extraordinary constitutional or inherent powers. It has been held as under:

“12. Under Article 329(b) of the Constitution no election to a legislature shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided by or made by the appropriate legislature. Under Section 80-A of the RP Act, the forum for adjudication of an election petition is the High Court. The scope of this provision is considered by this Court in *Upadhyaya Hargovind Devshanker v. Dhirendrasinh Virbhadrasinghji Solanki* [(1988) 2 SCC 1 : AIR 1988 SC 915] . In that decision, the question was whether an order made on an interlocutory application in an election petition could be the subject of a letters patent appeal. It was observed in that decision that conferment of power under the RP Act to try any election does not amount to enlargement of the existing jurisdiction of the High Court. The jurisdiction exercisable under the RP Act is a special jurisdiction conferred on the High Court by virtue of Article 329(b) of the Constitution. Therefore, even though the High Court may otherwise

exercise ordinary and extraordinary jurisdiction it would be difficult to envisage a situation that while trying an election petition in exercise of the jurisdiction conferred by the RP Act it can adjudicate upon the vires of the RP Act or any rule or order made thereunder and the election petition has to be tried in accordance with the provisions of the RP Act and thus the court cannot entertain and pronounce upon matters which do not fall within the ambit of Section 100 of the RP Act. Even an ordinary civil court will not have jurisdiction to decide questions arising under insolvency enactments; much less a special authority like the High Court when it is not invested with such power under the Insolvency Act. This Court in Bhagwati Prasad Dixit 'Ghorewala' v. Rajeev Gandhi [(1986) 4 SCC 78 : 1986 SCC (Cri) 399 : (1986) 2 SCR 823] reversed the view taken in Bhagwati Prasad [1985 All WC 682] on which reliance was placed by the respondent that the High Court can decide whether a person has acquired citizenship or lost citizenship. In that case a question arose as to whether in an election petition the High Court had jurisdiction to determine the citizenship of a person. The High Court had taken the view that notwithstanding the statutory bar contained in Section 9(2) of the Citizenship Act that wherever a question arises as to whether, when and how a person has acquired the citizenship of another country it shall be determined by such authority in the manner prescribed by the rules of evidence as may be prescribed in that behalf; that since by virtue of Article 329(b) of the Constitution all questions arising in an election petition filed under the RP Act were exclusively triable in an election petition, it had the jurisdiction to decide the question whether a candidate had ceased to be an Indian citizen. This Court took the view that when such a question arises it would be a matter to be decided by the authority constituted under the Citizenship Act and when no decision is given by the competent authority under the Citizenship Act, the question whether he ceased to be a citizen of India could not be adjudicated in an election petition."

(emphasis supplied)

21. After having heard learned counsel for the petitioner and perusing the records, it is settled that unless and until an election petition is maintainable and is not barred by limitation, the merits of the matter cannot be seen and considered. In the present matter, from the judgement relied by the learned counsel for the petitioner and the discussion as above, it is apparent that the provisions of Limitation Act, 1963 do not apply to election petitions. The filing / presentation of the election petition is strictly governed by Section 81 of the Act, 1951. The trial of the election petition is provided under Section 86 of the Act, 1951. The Act specifically provides that if an election petition does not comply with the provisions of Section 81 or Section 82 or Section 117 of it, the High Court shall dismiss it.

22. In view of the reasons as stated above, this Court comes to a conclusion that the present election petition is barred by Section 81 read with Section 86 of the Act, 1951 and is liable to be dismissed. It is thus ordered to be **dismissed**.

Order Date :- 30.09.2024

AS Rathore

Samit Gopal, J.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 08 अगस्त, 2026 ई० (श्रावण 17, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पंचायत सतरिख, बाराबंकी

31 अक्टूबर, 2025 ई०

सं० 339/न०प०स०/उपविधि/2025-26—नगर पंचायत, बोर्ड की बैठक दिनांक 21 अप्रैल, 2025 में लिये गये निर्णयानुसार इस कार्यालय के पत्र-संख्या 254/न०प०स०/उप विधि/2025-26 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, सतरिख, बाराबंकी द्वारा भवन मानचित्र उपविधि 2025 तैयार करते हुये नियमावली/उप विधि का प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा, दिनांक 20.09.2025 के पृष्ठ संख्या 07 एवं हिन्दुस्तान दिनांक 21.09.2025 के पृष्ठ संख्या 12 में प्रकाशित करते हुये प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये। निर्धारित अवधि के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में कोई आपत्ति/सुझाव नहीं प्राप्त हुये है। फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र संख्या 322/न०प०स०/उपविधि/2025-26 दिनांक 25.10.2025 के द्वारा उक्त नियमावली/उपविधि अन्तिम करते हुये उसका “प्रकाशन हिन्दी दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा” दिनांक 26.10.2025 के पृष्ठ संख्या-04 एवं हिन्दुस्तान दिनांक 26.10.2025 के पृष्ठ संख्या 11 पर प्रकाशित कराया गया।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त उपविधि/नियमावली को तत्काल रूप से प्रभावी किया जाता है। जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

भवन मानचित्र उपविधि 2025

1—शीर्षक: यह उप नियमावली नगर पंचायत, सतरिख, बाराबंकी भवन निर्माण उप नियमावली वर्ष 2025 कहलायेगी।

2—प्रकृति: यह उप नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत, समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3—परिभाषाएँ: जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपनियमावली में,

(क) अधिनियम से तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं० प्रा० ऐक्ट संख्या 2.1916) से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, सतरिख, बाराबंकी के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, सतरिख, बाराबंकी के बोर्ड से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, सतरिख, बाराबंकी के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासन से है।

(ङ) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, सतरिख, जनपद बाराबंकी से है।

(च) नगर पंचायत की सीमाओं से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

4—नोटिस: कोई भी व्यक्ति जो नगर पंचायत, सतरिख की सीमा के अन्तर्गत किसी भवन अथवा भूमि का स्वामी है और उसे किराये पर देने और विक्रय करने अथवा पट्टे पर देने का हक रखता है तो वह उस पर निर्माण पुनः निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो यह उक्त ऐक्ट की धारा-178 (2) के अन्तर्गत नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को एक लिखित नोटिस देगा।

5—प्लान: इस प्रकार के नोटिस के साथ जो कि किसी भवन के निर्माण पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है मानचित्र और विवरण दो प्रतियों में संलग्न करेगा। मानचित्र ट्रेसिंग क्लार्क एवं ब्लू प्रिन्ट पर हो सकते हैं। उपर्युक्त नोटिस तक अमान्य समझा जायेगा। जब कि सम्बन्धित व्यक्ति यह नोटिस नहीं देता है कि उसने उस शुल्क का भुगतान नगर पंचायत, सतरिख को कर दिया है। जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न करनी होगी यदि किसी कारण से नगर पंचायत द्वारा भवन का मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जाता है और शुल्क जो अदा कर दिया गया है। वह भवन स्वामी को मानचित्र की स्वीकृति के दिनांक से एक वर्ष के भीतर नगर पंचायत द्वारा सम्पूर्ण आपत्तियों के अनुमोदन के पश्चात बिना शुल्क अपने भवन के मानचित्र को प्रेषित करने की आज्ञा दी जायेगी यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा रख-रखाव किये जाने वाली सड़क के किनारे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दूरी के भीतर किसी प्रकार निर्माण पुनः निर्माण अथवा परिवर्तन करना चाहता है तो वह दो प्रतियों में नोटिस देगा और नोटिस के साथ नक्शे प्राप्त होने पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, सतरिख, नोटिस एवं नक्शे की दो प्रति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नोटिस देने के लिये भेजेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग का वह पदाधिकारी नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के अन्दर इस बात की सूचना नगर पंचायत, सतरिख, को देगा कि उन्हें इस निर्माण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है या नहीं यदि उक्त पदाधिकारी नगर पंचायत को दो सप्ताह के निर्दिष्ट अवधि के अन्दर कोई सूचना प्रेषित नहीं करते हैं तो ऐसे मामलों में यह समझा जायेगा कि प्रस्तावित निर्माण पर कोई आज्ञा प्रदान कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6—इस प्रकार प्रस्तुत सभी नक्शे 1 सेमी0 बराबर 1 मीटर के पैमाने पर सही ढंग से खींचे होने चाहिये और स्केल मानचित्र पर अंकित होनी चाहिये और उत्तरी रेखा भी नक्शे पर दर्शानी चाहिये मानचित्र पर प्रार्थी को हस्ताक्षर होने चाहिये तथा मानचित्र पर निम्न विवरण दर्शाना चाहिये।

(क) मानचित्र में उक्त भू-खण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण गलियों, सड़क की चौड़ाई परिमाण तथा आधार दर्शाना चाहिये तथा भू-खण्ड के निकट गुजरने वाली बिजली के तारों का उल्लेख भी होना चाहिये। मानचित्र से उक्त भू-खण्ड की चौहद्दी भी साथ साथ दर्शानी चाहिये तथा भू-खण्ड के चारों ओर के भवन स्वामियों का नाम मानचित्र में दर्शाने चाहिये।

(ख) मानचित्र से शटर और नाले का गन्दे पानी की निकास की नालियों का उल्लेख होना चाहिये।

(ग) आवश्यक सेवाओं का सही स्थानापन्न जैसे—शौचालय, स्नानागार आदि का स्पष्ट उल्लेख मानचित्र में होना चाहिये।

(घ) मानचित्र में निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये—

(1) भू-तल और उससे मिली हुई नालियों, सड़कों और गैर इस्तेमाली स्थानों का विवरण।

(2) सड़कों का परिमाण एवं उन कमरों के इस्तेमाल का विवरण जैसा कि श्यनकक्ष, रसोई घर शौचालय आदि।

(3) भू-तल, प्रथम तल और अतिरिक्त तल।

(4) मानचित्र में भवन का फ्रन्ट एलिवेशन दर्शाना चाहिये।

(5) कुर्सी का लेबिल तथा अभिन्यास प्लान से लगी सड़कों का लेबिल।

(6) दरवाजों, खिड़कियों तथा वेन्टीलेशनों का प्रकार एवं माप।

(7) सामग्री का प्रकार जिससे कि बुनियाद दीवारें, छतें तथा फर्श का निर्माण होना है।

(ङ) प्रस्तावित एवं वर्तमान कार्यों को विभिन्न रंगों को स्वच्छता के साथ दिखाना चाहिये जैसे- प्रस्तावित लाल रंग से वर्तमान कार्य बैंगनी रंग से परनाला तथा नालियों को नीले रंग से तथा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाना चाहिये।

7—शुल्क उप नियम 3 में दर्शाया गया मानचित्र पर निम्न शुल्क अदा करना होगा—

	भू-तल प्रति वर्ग मी0	अतिरिक्त तल (प्रति) वर्ग मी0
1. निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	10.00	8.00
2. निवासीय भवन (ओपन एरिया)	8.00	5.00
3. व्यवसायिक भवन, दुकान (कवर्ड एरिया)	50.00	30.00
4. व्यवसायिक भवन, (ओपन एरिया)	40.00	20.00
5. वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (कवर्ड एरिया)	30.00	15.00
6. वर्कशाप, फैक्ट्री, कारखाना आदि (ओपन एरिया)	25.00	10.00

1—प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर शुल्क निर्धारित होगा।

2—इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लार्क का मूल्य शामिल नहीं है।

3—नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-181 के अन्तर्गत यही स्वीकृति एक वर्ष हेतु मान्य होगी।

4—(क) कोई भी भवन कच्चा, पक्का या पूर्णतः पक्का हो सकता है।

(ख) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ग) भू-तल पर सड़क की ओर, खुलने वाले दरवाजे (केवांड) भीतर की तरफ रहेंगे।

(घ) प्रस्तावित निर्माण यदि सार्वजनिक सड़क के किनारे किया जाता है तो सड़क की पटरी से 03 फिट भूमि छोड़कर निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

5—धार्मिक स्थल—मन्दिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद इसी प्रकार के अन्य धार्मिक स्थलों की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक कि प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी के भीतर हो।

6—बिजली के तार: बिजली के तारों से दूरी उत्तर प्रदेश, पावर कार्पोरेशन ऐक्ट और उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों में उल्लिखित दूरी के अन्तर्गत किसी भी इमारत में बरामदा, छज्जा, साहेबान या ऐसी किसी प्रकार की चीज का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

7—शौचालय एवं गन्दे पानी का निकास—भवन का निर्माण सार्वजनिक नालों से 30 मीटर के भीतर होगा तो भवन स्वामी अपने भवन की नाली को सार्वजनिक नाली तक स्वयं जोड़ेगा।

8—भवन में पलैश लैट्रीन लगाना अनिवार्य होगा बिना पलैश लैट्रीन के मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

9—नालियां: भवन की नालियां सीमेन्ट कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियां बनाई जायेगी तथा सार्वजनिक नालियों से इसका जुड़ा होना भवन स्वामियों के लिये आवश्यक होगा।

10—300 वर्गमीटर की एरिया में भवन निर्माण करने के लिये छत वर्षा, जल संचयन प्रणाली/रूफ रैन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सिस्टम लगवाना अनिवार्य होगा।

11—प्लिन्थ (कुर्सी): भवन का प्लिन्थ भवन के सामने की सड़क से कम से कम 0.50 मीटर उँचा रखना होगा।

12—भवन की उँचाई—भू-तल पर फर्श से छत की उँचाई कम से कम 3.60 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलों पर कम से कम 3.00 मीटर रखनी होगी।

13—(क) भवन के किनारे: व्यक्तियों के रहने के कमरों का क्षेत्रफल कम से कम 7.20 वर्गमीटर तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरों में समुचित जंगलों और वेन्टीलेशन की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान में होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 01/10 से कम नहीं होगा।

(ग) जंगले इस प्रकार बनाये जायेंगे कि इनको पूरा खोला जा सके।

(घ) जीना-बहु मंजिलें भवनों में हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

14—(क) किसी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गफिट से कम न हो।

(ख) किसी भी ऐसे भू-खण्ड पर निवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी जहाँ पर कूड़ा व गन्दे पदार्थों का ढेर लगाया जाता हो जब तक कि स्वास्थ्य अधिकारी/अधिशासी अधिकारी उसके लिये अपनी स्वीकृति न दे दें।

15—जानवरों का बाड़ा: जानवरों के बाड़े में फर्श पक्का एवं ढालदार बनाना होगा।

16—(क) नक्शा स्वीकृत करने से पहले से पहले भू-खण्ड के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से एवं नगर पंचायत से कर की आख्या ली जायेगी।

(ख) सफाई नायक/लिपिक/या जैसी स्थिति हो से रोशनी एवं वेन्टीलेशन एवं शौचालय आदि के आख्या के पश्चात् नक्शा स्वीकृत किया जायेगा।

(ग) जब अधिशासी अधिकारी यह इत्मीनान कर लेगा कि प्रस्तावित भवन इन नियमों से समबन्धित सभी शर्तों को पूरी करता है तो वह मानचित्र स्वीकृति प्रदान करेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार के प्रोजेक्शन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(घ) यदि अधिशासी अधिकारी प्रस्तावित मानचित्र में कोई संशोधन करता है तो उसका कारण दोनों प्रतियों में दर्ज करेगा इसकी एक प्रति कार्यालय में रहेगी।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 198 (सं0 प्रा0 ऐक्ट संख्या-2 1916) की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत सतरिख, जनपद बाराबंकी यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड दिया जायेगा, जो रु0 5,000.00 (पाँच हजार, रुपये मात्र) तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 250.00 (दो सौ पचास, रुपये मात्र) अर्थ-दण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त दिया जायेगा अर्थ-दण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

(ह0) अस्पष्ट,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत सतरिख,
बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य सिंह पुत्र आलोक कुमार सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों, आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। जबकि मेरे पासपोर्ट नं0 5330246 में मेरा नाम प्रखर सिंह अंकित हो गया है जो कि मेरे बचपन का नाम है, जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदित्य सिंह पुत्र आलोक कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आदित्य सिंह, पुत्र आलोक कुमार सिंह,
1142, सिरवारा रोड, सुलतानपुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अमूल्या जायसवाल (AMULYA JAISWAL) पुत्री संदीप कुमार जायसवाल (SANDEEP KUMAR JAISWAL) हैं। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या. xxxxxxxx0122 में उसका नाम डिम्पल जायसवाल अंकित हो गया है। जो कि गलत है, भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अमूल्या जायसवाल पुत्री संदीप कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है

संदीप कुमार जायसवाल,
वार्ड नं0 23 रॉबर्ट्सगंज,
जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मोहिनी पुत्री सुदामा है जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र, उपजिलाधिकारी आदेश वाद सं0-7167/2025 में, परिवार रजिस्टर, मेरे निर्वाचन कार्ड में मेरा नाम मोहिनी पुत्री सुदामा अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-9070 7520 4177 में मेरा नाम जयश्री अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मोहिनी पुत्री सुदामा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मोहिनी पुत्री सुदामा,
एच. नं. 2/44, प्रयाग नारायन रोड,
बालू अड्डा, पोस्ट व जिला-लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जाहन्वी यादव (JAHNAVI YADAV) पुत्री सुधाकर यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-6886 9101 1266 में उसका नाम जानवी यादव (JANVI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री का उसके सही नाम जाहन्वी यादव (JAHNAVI YADAV) पुत्री सुधाकर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अर्चना श्रीवास्तव पत्नी सुधाकर यादव,
1, मिन्टो रोड सिविल लाइन्स,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आर्ची गुप्ता (ARCHI GUPTA) - पुत्री देवराज गुप्ता (DEVRAJ GUPTA) - है, जो कि उसके

शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या- XXXX XXXX 2072 में उसका नाम अरुचि गुप्ता अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आर्ची गुप्ता पुत्री देवराज गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

देवराज गुप्ता पुत्र संजय कुमार गुप्ता,
128/121 शिवशक्ति अपार्टमेंट फ्लैट नं0-S-2,
दूसरा फ्लोर, के-ब्लॉक, किदवई नगर,
कानपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुशीला देवी पत्नी स्व0 गोविन्द प्रसाद तिवारी है जो कि मेरे बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड पैन कार्ड, तथा उपजिलाधिकारी की जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पति स्व0 गोविन्द प्रसाद तिवारी के आर्मी सर्विस बुक में मेरा नाम पुष्पा रानी दर्ज हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुशीला देवी पत्नी स्व0 गोविन्द प्रसाद तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुशीला देवी पत्नी गोविन्द प्रसाद तिवारी,
अकसौली, पोस्ट पहाड़ा, जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम चिराग विश्वकर्मा (Chirag Vishwakarma) पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7867 1733 0582 में उसका नाम चिराग (Chirag) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम चिराग विश्वकर्मा (Chirag

Vishwakarma) पुत्र राजकुमार विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

राजकुमार विश्वकर्मा पुत्र मंगरु,
जिवती, पो0-सण्डवा जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुहानी पटेल (SUHANI PATEL) पुत्री राकेश कुमार (RAKESH KUMAR) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या-4021 8050 6377 में मेरा नाम सोहनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुहानी पटेल (SUHANI PATEL) पुत्री राकेश कुमार (RAKESH KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुहानी पटेल पुत्री राकेश कुमार,
रीवा रोड नया का पूरा बसवार दादूपुर,
प्रयागराज (इलाहाबाद) दादूपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 हौसला प्रसाद मिश्र ग्राम डांडो थाना व तहसील-करछना जनपद प्रयागराज नाम से फर्म पंजीकृत है जिसमें हौसला प्रसाद मिश्र पुत्र स्व0 रामकिशोर मिश्र निवासी-डांडो, करछना, प्रयागराज (80%) व श्रीमती मिथिलेश कुमारी मिश्रा पत्नी हौसला प्रसाद मिश्र निवासी 128ए/47ए बी0एच0एस0 अल्लापुर प्रयागराज (15%) एवं श्री अमित तिवारी पुत्र राघवेंद्र प्रसाद तिवारी निवासी 43ए/4 एम0आई0जी0 अल्लापुर प्रयागराज (5%) साझीदार थे। उक्त फर्म में से श्री हौसला प्रसाद मिश्र एवं श्रीमती मिथिलेश कुमारी मिश्रा स्वेच्छापूर्वक दिनांक 14.7.2026 ई0 को रिटायर्ड हो रहे हैं फर्म में इन दोनों लोगों का किसी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी शेष नहीं है। फर्म में

नए साझीदार के रूप में राघवेंद्र प्रसाद तिवारी पुत्र भोलानाथ तिवारी निवासी-4 एम0आई0जी0 बी0एच0एस0 अल्लापुर प्रयागराज तथा दुर्गेश मिश्रा पुत्र हौसला प्रसाद मिश्रा निवासी 47 बी0एच0एस0 अल्लापुर, प्रयागराज सम्मिलित हो रहे हैं नए साझीदारों का अनुपात क्रमशः

- 1- दुर्गेश मिश्रा (50%)
- 2-राघवेंद्र प्रसाद तिवारी (35%)
- 3 श्री अमित तिवारी (15%) होगा।

मे0 हौसला प्रसाद मिश्र,
डांडो, करछना, प्रयागराज
द्वारा अमित तिवारी

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विनम्र त्रिपाठी (Vinamra Tripathi) पुत्र अरविन्द नारायण त्रिपाठी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9241 में उसका नाम विनम्र त्रिपाठी (Vinarm Tripathi) अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विनम्र त्रिपाठी (Vinamra Tripathi) पुत्र अरविन्द नारायण त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरविन्द नारायण त्रिपाठी,
पथरताल पोस्ट खजुरी कोरांव,
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा सही नाम प्रियांशू मोदनवाल पुत्र श्याम जी मोदनवाल है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं. 5801 7684 8895 में मेरा नाम अमन मोदनवाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियांशू मोदनवाल पुत्र श्याम जी मोदनवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रियांशू मोदनवाल, पुत्र श्याम जी मोदनवाल,
उमर खां, पोस्ट-सदर, जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विनोद कुमार सिंह पुत्र सूर्यलाल सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 2613 में मेरा नाम पिटू सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विनोद कुमार सिंह पुत्र सूर्यलाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विनोद कुमार सिंह पुत्र सूर्यलाल सिंह,
12, जलालपुर बिरसाहपुर मिर्जापुर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स महादेव ट्रांसपोर्ट, पता—नवापुरा, गाजीपुर, उ0प्र0 पंजीकरण सं0—GAZ/0025542 दिनांक 15.07.2026 को वाराणसी से पंजीकृत है जिसमें निम्न सदस्य/साझेदार पंजीकृत हैं। 1. मीरा पत्नी अवधेश गुप्ता, 2. आशीष केसरी पुत्र प्रहलाद जी केसरी, 3. पुष्पराज सिंह यादव पुत्र वशिष्ठ सिंह यादव, 4. लालजी गुप्ता पुत्र रामाधार गुप्ता, 5. किरन गुप्ता पत्नी सुनील कुमार गुप्ता 6. सूनील कुमार गुप्ता पुत्र जीउत बन्धन गुप्ता, 7. अभिषेक गुप्ता पुत्र बाला शंकर गुप्ता, 8. संतोष कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद, 9. ब्रिजेश यादव पुत्र प्रताप यादव, 10. चन्द्र शेखर गुप्ता पुत्र महेन्द्र प्रताप गुप्ता, 11. हिमांशु कुमार गांधी पुत्र कृष्णचन्द्र गांधी, 12. अंकित कुमार गुप्ता पुत्र लाल जी गुप्ता। विदित हो कि आज दिनांक 28.07.2026 को फर्म के साझेदार श्री संतोष कुमार यादव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद यादव उक्त फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं,

इनका आज की तिथि के बाद से उक्त फर्म से कोई लेना—देना नहीं है। अब वर्तमान में उक्त फर्म में कुल 11 साझेदार हैं।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण किया गया है।

मीरा पत्नी अवधेश गुप्ता,
साझेदार,
फर्म मेसर्स महादेव ट्रांसपोर्ट,
नवापुरा, गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स श्री सिद्धि विनायक डेवलपर्स पता मोहल्ला गफफार खान, लोहा बाजार जिला पीलीभीत था। जिसकी पंजीकरण सं0—PIL/0010431 है में सभी साझेदारों की सहमति से दिनांक 01/04/2025 से उपरोक्त फर्म का पता C/o जितेंद्र प्रकाश, प्रकाश मित्तल, गीता मंदिर रोड, वीजी गुलशेर खान, जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश रख लिया गया है। उपरोक्त फर्म मे दिनांक 01/04/2025 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री साकेत अग्रवाल पुत्र स्व0 ज्ञानेन्द्र प्रकाश श्री मनिक मित्तल पुत्र श्री जितेंद्र प्रकाश मित्तल श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री राम पाल सरन को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 01/04/2025 को ही साझेदार श्री अश्वनी गोयल पुत्र श्री राम कृष्ण गोयल स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात श्री अश्वनी गोयल का फर्म पर व फर्म का श्री अश्वनी गोयल पर कोई शेष बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल चार साझेदार क्रमशः 1 श्री अंकुर अग्रवाल 2 श्री साकेत अग्रवाल 3 श्री मनिक मित्तल 4— श्री दिलीप कुमार है। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में मेरे द्वारा समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं।

अंकुर अग्रवाल,
साझेदार,
फर्म मेसर्स श्री सिद्धि विनायक डेवलपर्स,
जितेंद्र प्रकाश मित्तल गीता मंदिर,
रोड, बाग गुलशेर खान,
जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स रग्स इन स्टाईल इंक, पता—प्लॉट न०—सी—104 आदित्य गार्डन सिटी, प्लॉट न०—जी. एच.—4, सैक्टर—6, वसुंधरा, गाजियाबाद पंजीकरण संख्या—26473—एम की संशोधित डीड (Amended Deed Of Partnership) दि० 21.07.2026 के अनुसार फर्म का पता—प्लॉट न०—1/65, इण्डस्ट्रीयल एरिया, साउथ साईड ऑफ जी.टी. रोड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश—201002 किया गया है व फर्म साझीदार श्री ओमप्रकाश का पता—प्लेट न०—के—101, फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट न०—जीएच—01, आदित्य अर्बन कासा, सेक्टर—78, नोएडा, गौतमबुद्धनगर उ०प्र०—201301 हो गया है।

अमित चौहान,
साझीदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० आगरा गैस कं०, ए—12, शॉपिंग आर्कड, सदर बाजार, जिला आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री सुदीप कुमार पोटदार, श्री प्रदीप पोटदार, श्री अभिषेक कुमार पोटदार, श्री अमित पोटदार हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक—24/04/2019 को संचालन की थी। दिनांक 15/07/2026 से श्री पियूष सिंह फर्म में साझेदार हो गये हैं एवं श्री सुदीप कुमार पोटदार, श्री प्रदीप पोटदार, श्री अभिषेक कुमार पोटदार फर्म से पृथक हो गये हैं। अब फर्म को श्री अमित पोटदार, श्री पियूष सिंह हम दोनों साझेदार के रूप में संचालित करेंगे एवं फर्म के पुराने पते ए—12, शॉपिंग आर्कड, सदर बाजार, जिला आगरा को परिवर्तित कर नया पता 630ए, एम०जी० रोड, सदर बाजार, जिला आगरा कर दिया गया है।

अमित पोटदार,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शंकर कुमार पुत्र श्याम बहादुर है। जो

उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 7383 1620 4638 में उसका नाम शिव शंकर अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शंकर कुमार पुत्र श्याम बहादुर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

श्याम बहादुर पुत्र सुबच्चन,
204, ताजोपुर, डाडेपार, ताजोपुर,
मऊ, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम जाह्नवी सैनी पुत्री विशाल सैनी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 9694 9335 6107 में उसका नाम आयुषी सैनी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जाह्नवी सैनी पुत्री विशाल सैनी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

गुडिया सैनी पत्नी विशाल सैनी,
184, सूर्या तकरोही, निर्माण हॉस्पिटल,
पोस्ट इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंश तिवारी (Ansh Tiwari) पुत्र अजय तिवारी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 9561 में उसका नाम गजानन तिवारी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंश तिवारी पुत्री अजय तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

मनीषा तिवारी पत्नी अजय तिवारी,
विक्रमपुर पिलखिनी झोवा,
संत रविदास नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जशोधरा देवी (JASHODHRA DEVI) पत्नी दयाराम है जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, गैस कनेक्शन, विद्युत बिल, पति के सेवा सम्बन्धी अभिलेख में (पी.पी.ओ.) और उपजिलाधिकारी की जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2507 1433 7945 में मेरा नाम जशोदा (YASHODA) पत्नी दयाराम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जशोधरा देवी पत्नी दयाराम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

जशोधरा देवी पत्नी दयाराम,
273ए भटपुरा नंदीग्राम, भरतकुंड पोस्ट नैपुरा,
थाना पूरा कलंदर, तहसील सोहावल,
जनपद अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिति चौहान (ADITI CHAUHAN) पुत्री श्री प्रकाश चौहान है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 9405 0579 5908 में उसका नाम आदित्य चौहान (AADITY CHAUHAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम अदिति चौहान (ADITI CHAUHAN) पुत्री श्री प्रकाश चौहान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

सविता देवी पत्नी श्रीप्रकाश चौहान,
ग्राम शिवरामपुर पोस्ट राजपुर,
थाना व तहसील बासडीह जिला बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अम्ब्रेश सिंह (AMBRESH SINGH) पुत्र जय बहादुर सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 6519 8109 3500 में उसका नाम अम्ब्रेश सिंह (AMABRESH SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अम्ब्रेश सिंह (AMBRESH SINGH) पुत्र जय बहादुर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

जय बहादुर सिंह,
ग्राम इटवा खुर्द, पोस्ट खीरी,
तहसील कोरांव, जिला प्रयागराज।

NOTICE

This is to inform the general public that my correct name is Raj Veer Singh, S/o Lal Jay Singh, as listed in my educational records, My name has been mistakenly written as Ansh on my Aadhar Card No-xxxx xxxx 0046, which is incorrect. In the future, I should be known and recognized by my correct name, Raj Veer Singh, S/o Lal Jay Singh.

It is hereby certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me personally.

Raj Veer Singh, S/o Lal Jay Singh,
Kaudhiyara Jari Tehsil Karchana,
Post Jari Bazar Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कृतिका अग्रवाल (KRITIKA AGRAWAL) पुत्री दीपक अग्रवाल है जो मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8796 में मेरा नाम कृतिका अग्रवाल (KRATIKA AGRAWAL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कृतिका अग्रवाल (KRITIKA AGRAWAL) पुत्री दीपक अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

कृतिका अग्रवाल पुत्री दीपक अग्रवाल,
अग्रवाल अधिकांश दक्षिणी भाग किशुनपुर,
फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अरनव ओझा (ARNAV OJHA) पुत्र हरेन्द्र ओझा (HARENDRA OJHA) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 2963 में उसका नाम हनी ओझा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अरनव ओझा (ARNAV OJHA) पुत्र हरेन्द्र ओझा (HARENDRA OJHA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

हरेन्द्र ओझा स्व० राधे श्याम ओझा,
4/2 जूही पुलिस कालोनी,
कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सुरेन्द्र यादव (Surendra Yadav) पुत्र छोटे

लाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 9800 में मेरा नाम वीरेन्द्र सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुरेन्द्र यादव पुत्र छोटे लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

सुरेन्द्र यादव पुत्र छोटे लाल,
ग्राम सलेमपुर पोस्ट देवीपुर काशीपुर,
कानपुर, देहात, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शिव सिंह (Shiv Singh) पुत्र अमृत लाल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 2995 में मेरा नाम शिवा कान्त अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम शिव सिंह पुत्र अमृत लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई हैं।

शिव सिंह पुत्र अमृत लाल,
ग्राम व पोस्ट करौसा करौसा अकबरपुर,
कानपुर देहात, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम केशरी नन्दन मिश्र (KESHARI NANDAN MISHRA) पुत्र जय कृष्ण मिश्र (JAY KRISHNA MISHRA) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 3433 में मेरा नाम हार्दिक मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम केशरी नन्दन मिश्र (KESHARI NANDAN MISHRA) पुत्र जय कृष्ण मिश्र (JAY KRISHNA MISHRA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

केशरी नन्दन मिश्र पुत्र जय कृष्ण मिश्र,
सजोई पो0 सजोई वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ज्ञानिष साहू (Gyanish Sahu) पुत्र अमित कुमार साहू है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 2201 में उसका नाम ज्ञानिष अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ज्ञानिष साहू पुत्र अमित कुमार साहू के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

अमित कुमार साहू पुत्र सुखलाल साहू,
भावापुर निहालपुर, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति सिंह (AKRITI SINGH) पुत्री प्रमोद कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 6691 4023 3451 में उसका नाम आसाध्या सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्री को उसके सही नाम आकृति सिंह (AKRITI SINGH) पुत्री प्रमोद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

सुमन यादव पत्नी प्रमोद कुमार,
पोस्ट सिकन्दरा थाना बहरिया,
जनपद प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंजनेय सिंह (Anjaney Singh) पुत्र धनंजय सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 xxxx xxxx 4220 में उसका नाम करन सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंजनेय सिंह (Anjaney Singh) पुत्र धनंजय सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

धनंजय सिंह पुत्र अमर बहादुर सिंह,
पुरवा सेमराध सेमराध उपरवार,
संत रविदास नगर भदोही, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रशांत सिंह (PRASHANT SINGH) पुत्र रत्नेश सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 9800 0783 4665 में उसका नाम शिवांश सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रशांत सिंह पुत्र रत्नेश सिंह के नाम से जाना व पहचान जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

रत्नेश सिंह,
ग्राम व पोस्ट भीखापुर कानीडीह,
तहसील कुंडा जनपद प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम रिशु गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0 7901 4299 5710 में उसका नाम संसिता हो गया है

जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम रिशु गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

श्रीकान्त गुप्ता,
113ए गल्ला बाजार,
पो0 तेलियरगंज प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम फातिमा कादिरी (Fatima Kadiri) पुत्री सोहराब अली है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8325 में मेरा नाम मुस्कान अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम फातिमा कादिरी पुत्री सोहराब अली के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

फातिमा कादिरी पुत्री सोहराब अली,
हरना हरौरा पोस्ट बिनगी अतरसुमा,
तहसील वल्दीराय सुल्तानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरे पैन कार्ड संख्या AMOPK6773C में मेरा नाम जयप्रकाश पुत्र बाबूलाल कसौधन है। मेरे आधार कार्ड नं० 9660 6872 1869 में मेरा नाम जयप्रकाश पुत्र बाबूलाल कसौधन है एवं एस०डी०एम० द्वारा जारी जॉच रिपोर्ट में मेरा नाम जयप्रकाश पुत्र बाबूलाल कसौधन प्रमाणित है। त्रुटिवश मेरे, शेयर सर्टिफिकेट फोलियों नं० 0007536 ल्यूपिन लिमिटेड, फोलियो नं० 1571761 आई०एफ०सी०आई० लिमिटेड, फोलियो नं० 0127546 एस्सार ऑयल लिमिटेड, फोलियो नं० J00230 जेएमटी ऑटो लिमिटेड, फोलियो नं० 068709 आदित्य स्पिनर्स लिमिटेड, फोलियो नं० 201998889 रिलायन्स पावर, फोलियो नं० 001998889 रिलायन्स कम्यूनिकेशन वेंचर्स लिमिटेड, फोलियो

नं० 00642811 आईएफसीआई लिमिटेड में जयप्रकाश लोहिया एवं फोलियो नं० GRA0295634 ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोलियो नं० 0012827 आदित्य बिरला फैशन एण्ड रिटेल लिमिटेड, फोलियो नं० HB005267 हिन्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, फोलियो नं० ABC0287343 आदित्य विरला कैपिटल लिमिटेड में जयप्रकाश वैश्य दर्ज हो गया है।

उपरोक्त तीनों नाम जयप्रकाश, जयप्रकाश लोहिया व जयप्रकाश वैश्य एक ही व्यक्ति जयप्रकाश पुत्र बाबूलाल कसौधन के ही हैं। भविष्य में मुझे जयप्रकाश पुत्र बाबूलाल कसौधन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जय प्रकाश पुत्र बाबूलाल कसौधन,
वार्ड नं० - 4, कटरा राजा हिम्मत सिंह,
अमेठी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम स्वास्तिक यादव (SWASTIK YADAV) पुत्र बाल चन्द्र यादव (BAL CHANDR YADAV) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या - XXXX XXXX 4107 में उसका नाम अयान यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम स्वास्तिक यादव (SWASTIK YADAV) पुत्र बाल चन्द्र यादव (BAL CHANDR YADAV) के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

बाल चन्द्र यादव पुत्र सत्य देव यादव,
लेवा, बेलवार, जौनपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु० जीनत यामीन (KM. ZEENAT

YAMEEN) पुत्री मो० यामीन है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 5336 6638 3011 में मेरा नाम जीनत यास्मीन (ZEENAT YASMEEN) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० जीनत यामीन (KM ZEENAT YAMEEN) पुत्री मो यामीन पत्नी जाहिद अली खान के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० जीनत यामीन पुत्री मो यामीन,
130/496, बाबू पुरवा, टी०पी० नगर,
कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शिवेन तिवारी (SHIVEN TIWARI) पुत्र आलोक तिवारी जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र एवं स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार सं०-6993 0526 3175 में उसका नाम Shvendr (शवेन्द्र) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके नाम शिवेन तिवारी (SHIVEN TIWARI) पुत्र आलोक तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त वैधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आलोक तिवारी पुत्र बलराम प्रसाद तिवारी,
घसड़ा राजा, कनोखर, लालगंज,
जिला मीरजापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वर्षा शर्मा पुत्री रमेश चन्द्र शर्मा है जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 7180 9795 4919 में उसका नाम बसन्तिका अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उस के सही नाम वर्षा शर्मा पुत्री रमेश चन्द्र शर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रमेश चन्द्र शर्मा पुत्र घिसई शर्मा,
31 भदसार खान, जहानपुर अम्बरी,
आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का सही नाम खुशबू मिश्रा है जो उनके मृत्यु प्रमाण पत्र तथा मेरे इण्टर मीडिएट के अंकपत्र (अंकप्रमाण पत्र) अनुक्रमांक 23666930/2026 में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के प्रमाण पत्र सह अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23199969/2024 में मेरी माता जी का नाम ममता मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सोनाली मिश्रा पुत्री स्व० अनुराग मिश्रा,
बलरामपुर पोस्ट विराव,
वाराणसी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जय प्रताप पुत्र मज्जन है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 9263 में उसका नाम जय प्रकाश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जय प्रताप पुत्र मज्जन के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धर्मा देवी पत्नी मज्जन
नुआव पोस्ट संडवा,
मिर्जापुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ऋषभ पुत्र संजय कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0677 में उसका नाम अंश कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ऋषभ पुत्र संजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संजय कुमार पुत्र संतोष
295, म्योर रोड, राजापुर,
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कर्ण प्रताप सिंह पुत्र अभय प्रताप सिंह है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरे पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्र का नाम कर्ण प्रताप सिंह से बदलकर रुद्र प्रताप सिंह रख लिया है भविष्य में मेरे पुत्र को रुद्र प्रताप सिंह पुत्र अभय प्रताप सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अभय प्रताप सिंह पुत्र राजेश बहादुर सिंह,
भूपिया मऊ प्रतापगढ़ उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कैलाश नाथ (KAILASH NATH) पुत्र कंधई लाल (KANDHAI LAL) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX

0578 में मेरा नाम कैलाश (KAILASH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कैलाश नाथ (KAILASH NATH) पुत्र कंधई लाल (KANDHAI LAL) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कैलाश नाथ पुत्र कंधई लाल
कुकुरभूकवा, सिरसिया,
बलरामपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र की सही नाम तेजश गौतम (TEJASH GAUATM) पुत्र राजीव गौतम है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 XXXX XXXX 5002) में उसका नाम तेजष्व गौतम (TEJASHWA GAUTAM) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम तेजश गौतम (TEJASH GAUATM) पुत्र राजीव गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजीव कुमार गौतम पुत्र गेंदा लाल,
39/10, जूही सफेद कॉलोनी,
थाना किदवई नगर, कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम मुस्कान यादव पुत्री बलराम यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-XXXX XXXX 8266 में उसका नाम मंजना अंकित हो गया है, जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम मुस्कान यादव पुत्री बलराम यादव के नाम से जाना पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरी द्वारा पूर्ण की गयी है।

बलराम यादव पुत्र लाला,
मकान सं0 190, पतुलकी कनेहती कनेथी
फुलपुर जनपद-प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विपिन पटेल (Vipin Patel) पुत्र अरुण कुमार पटेल है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 4460 में उसका नाम सलिल कुमार पटेल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विपिन पटेल पुत्र अरुण कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अरुण कुमार पटेल पुत्र राज बहादुर पटेल,
ग्राम कुरुगांव पोस्ट करौंदी,
थाना व तहसील सोरांव प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम शन्नी शर्मा (SUNNY SHARMA) पुत्र आनंद कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6405 में उसका नाम SHANI SHARMA अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम शन्नी शर्मा (SUNNY SHARMA) पुत्र आनंद कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सुनीता देवी पत्नी आनंद कुमार,
जफरपुर मुगलसराय चंदौली उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कार्तिक कुमार गौड़ पुत्र राकेश कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 7362 1373 1574 में उसका आम ऋतिका कुमार गौड़ अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कार्तिक कुमार गौड़ पुत्र राकेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राकेश कुमार गौड़ पुत्र आशाराम गौड़
ग्राम गुन्धौर पोस्ट गुन्धौर,
जनपद अयोध्या उ०प्र०।

सूचना

सर्वधाराण को सूचित किया जा है कि मेरी पुत्री का सही नाम जुनैरा फातिमा (ZUNAIRA FATIMA) पुत्री आशिक है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-2302 5773 7956 में उसका नाम जैना फातमा ZAINA FATMA अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जुनैरा फातिमा (ZUNAIRA FATIMA) पुत्री आशिक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

शबनूर बानों पत्नी आशिक
सी 263, आवास विकास कालोनी,
प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम वाल्या कावेरी (Valya Kaveri) पुत्री अजय कुमार (Ajay Kumar) है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में

अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8028 में मेरा नाम मुस्कान अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मुझे मेरे सही नाम वाल्या कावेरी पुत्री अजय कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

वालया कावेरी पुत्री अजय कुमार,
मकान नं० 99 सदर बाजार कैन्ट,
वाराणसी, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s "VANSI GOODS CARRIER" SHOP NO- 9 GURUDWARA GURU TEG BAHADUR SAHEB MARKET, AGRA KANPUR ROAD, ETAWAH की पार्टनरशिप डीड दिनांक 15 मार्च, 2017 को हुई थी जिनके अनुसार फर्म में दो साझेदार 1. श्री वीरेन्द्र सिंह 2. श्री शिवरंजन दीक्षित थे संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 1 जून 2026 के अनुसार फर्म में दरविन्दर कौर सम्मिलित हो गयी एवं साझेदार न० 2. श्री शिवरंजन दीक्षित अपनी इच्छानुसार इस फर्म से अलग हो गए हैं तथा अब इनका इस फर्म में कोई लेन देन बाकी नहीं है, शोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 01 जून 2026 के अनुसार वर्तमान में अब इस फर्म में दो साझेदार 1. श्री वीरेन्द्र सिंह 2. दरविन्दर कौर रहेंगे।

वीरेन्द्र सिंह
साझेदार

M/s "VANSI GOODS CARRIER",
SHOP NO- 9 GURUDWARA,
GURU TEG BAHADUR SAHEB,
MARKET AGRA KANPUR ROAD,
ETAWAH, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या कुशवाहा पुत्री एस कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र में अंकित

है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 2382 4006 5853 में उसका नाम तृषा कुशवाहा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या कुशवाहा पुत्री एस कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

एस कुमार,
45 कालिका मुहाल, लखना,
इटावा, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम प्रयाग पुत्र मिथिलेश है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० XXXX XXXX 8363 में उसका नाम शनि अंकित हो गया है जो कि गलत है, भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रयाग पुत्र मिथिलेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मिथिलेश पुत्र गौरी शंकर,
ग्राम सरिया पोस्ट—एकली अहरौरा चुनार,
मिर्जापुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम श्रुष्टि यादव पुत्री इन्द्र बहादुर यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 4420 6125 4739 में उसका नाम क्रिस्टी यादव है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम श्रुष्टि यादव पुत्री इन्द्र बहादुर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

नीता देवी पत्नी इन्द्र बहादुर यादव,
ग्राम रामनगर दलई का पूरा टप्पा चौरासी,
परगना खैरागढ़ तहसील व थाना मेजा,
जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अब्दुल्लाह कुरैशी पुत्र मो. अतहर है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र की आधार कार्ड संख्या 2167 5453 9766 में उसका नाम अब्दुल्लाह अतहर कुरैशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अब्दुल्लाह कुरैशी पुत्र मो. अतहर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मे. अतहर पुत्र मो. अजीज,
ग्राम रघुराजगंज पो० जगतपुर,
जिला रायबरेली उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अलिस्बा बानो पुत्री मो. अतहर है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री की आधार कार्ड संख्या 5212 3096 3120 में उसका नाम अलिस्बा अतहर कुरैशी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अलिस्बा बानो पुत्री मो. अतहर के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो. अतहर पुत्र मो. अजीज,
ग्राम रघुराजगंज पो० जगतपुर,
जिला रायबरेली, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रियांश सिंह (RIYANSH SINGH) पुत्र सिंटू सिंह (SINTU SINGH) है जो कि. उसके जन्म प्रमाण व स्कूल बुद्ध प्राथमिक विद्यालय के अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड संख्या 3263 3113 6978 में उसका नाम शिवा सिंह अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रियांश सिंह (RIYANSH SINGH) पुत्र सिंटू सिंह (SINTU SINGH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सिंटू सिंह पुत्र भोला सिंह,
ग्राम पिकौरा पोस्ट सिकटहा पिकौरा,
संतकबीरनगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सत्यांशी गौतम (Satyanshi Gautam) पुत्री रामचन्द्र है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0023 में उसका नाम सत्यांशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सत्यांशी गौतम पुत्री रामचन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

क्रांति देवी पत्नी रामचन्द्र
प्रेमापुर रामगढ़ किरियत,
मिर्जापुर उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जैद अली (ZAID ALI) पुत्र हसमत अली (HASMAT ALI) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख

और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2499 8940 6219 में उसका नाम ईशान अली अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जैद अली (ZAID ALI) पुत्र हसमत अली (HASMAT ALI) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

हसमत अली पुत्र अशरफ अली
किदवई नगर सौरिख रुरल,
कन्नौज, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अभिषेक पाण्डेय (ABHISHEK PANDEY) पुत्र जटा शंकर पाण्डेय (JATA SHANKER PANDEY) है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 7967 में उसका नाम कृष्णा पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अभिषेक पाण्डेय (ABHISHEK PANDEY) पुत्र जटा शंकर पाण्डेय (JATA SHANKER PANDEY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सोनम पाण्डेय, पत्नी जटा शंकर पाण्डेय,
पुरे बल्दू पाण्डेय खालिश,
बहादुर पुर अमेठी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अनुरुद्ध प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्व० अयोध्या प्रसाद पाण्डेय मेरा सही नाम अनुरुद्ध प्रसाद पाण्डेय (ANURUDDH PRASAD PANDAY) है जो मेरे

शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं- XXXX XXXX 7918 में मेरा नाम अनिरुद्ध प्रसाद पाण्डेय (ANIRUDDH PRASAD PANDEY) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरा सही नाम अनुरुद्ध प्रसाद पाण्डेय (ANURUDDH PRASAD PANDAY) पुत्र स्व० अयोध्या प्रसाद पाण्डेय (AYODHYA PRASAD PANDAY) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

अनुरुद्ध प्रसाद पाण्डेय,
पुत्र स्व० अयोध्या प्रसाद पाण्डेय,
523A / 14 बेली कालोनी, राजापुर,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता (BRIJESH KUMAR GUPTA) पुत्र मोहन लाल गुप्ता (MOHAN LAL GUPTA) है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 0553 में मेरा नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता (BRAJESH KUMAR GUPTA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ब्रजेश कुमार गुप्ता (BRIJESH KUMAR GUPTA) पुत्र मोहन लाल गुप्ता (MOHAN LAL GUPTA) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

ब्रजेश कुमार गुप्ता पुत्र मोहन लाल गुप्ता,
54, त्रिपोलिया, बताशा मंडी,
प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुनीता (SUNITA) पुत्री शिव कुमार (SHIV KUMAR) है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और

शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 1312 में उसका नाम रिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुनीता (SUNITA) पुत्री शिव कुमार (SHIV KUMAR) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

इन्दू देवी पत्नी शिव कुमार,
खुटारी पोस्ट कलवारी माफी मरिहान,
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु. उमा कुमारी (Km. Uma Kumari) पुत्री रामरूप शुक्ला है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6209 में मेरा नाम उमा मिश्रा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु. उमा कुमारी पुत्री रामरूप शुक्ला पत्नी कृष्ण मुरारी मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु. उमा कुमारी पुत्री रामरूप शुक्ला,
पत्नी कृष्ण मुरारी मिश्रा,
44 सेहरीघाट शहरीघट सिद्धार्थनगर उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राज कमल (RAJ KAMAL) पुत्र श्रीनाथ (SRINATH) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6257 में मेरा नाम राम कैलाश अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम राज कमल (RAJ KAMAL) पुत्र श्रीनाथ (SRINATH) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्व द्वारा प्रमाणित किया जाता है, कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राज कमल पुत्र श्रीनाथ,
ग्राम रामनगर गंसियारी,
पोस्ट व थाना मऊ आइमा, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम कृष्ण कुमार यादव (KRISHN KUMAR YADAV) पुत्र सुभाष चंद यादव (SUBHASH CHAND YADAV) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में भी अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2123 2176 3829 में उसका नाम किशन यादव (KISHAN YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृष्ण कुमार यादव पुत्र सुभाष चंदा यादव के नाम से जाना व पहचाना जायें।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विविध औपचारिकताएँ स्वयं मेरे पूर्ण की गयी हैं।

सुभाष चंद यादव पुत्र सीता राम,
जाहिदपुर ददरहा, संत रविदास नगर,
नई बाजार, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सूरजबली भगत पुत्र स्वर्गीय देवनन्दन पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर नकल, बैंक पास बुक एवं गैस कनेक्शन पास बुक में अंकित है। उप जिलाधिकारी जांच आख्या प्रस्तुत है। त्रुटिवश मेरे आधार संख्या 6536 9828 9070 में मेरा नाम सूर्य बली भगत अंकित हो गया है, जो की गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सूरजबली भगत पुत्र स्वर्गीय देवनन्दन के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सूरजबली भगत पुत्र स्वर्गीय देवनन्दन,
केवटलिया चौबे तहसील बांसडीह,
जिला बलिया, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रितिक केसरवानी (Ritik Kesharwani) पुत्र राजेश केसरवानी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या XXXX XXXX 6183 में मेरा नाम रितिक केसरवानी (Ritik Kesarwani) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम रितिक केसरवानी (Ritik Kesharwani) पुत्र राजेश केसरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रितिक केसरवानी पुत्र राजेश केसरवानी,
ग्राम साहसों साहसों फुलपुर,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अनमोल श्रीवास्तव पुत्र अजीत कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश एल०आई०सी० बांड के पॉलिसी सं० 314159803 में मेरे पुत्र का नाम प्रखर श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कल्पना श्रीवास्तव पत्नी स्व० अजीत कुमार,
EWS 5/5 आवास विकास कालोनी,
झूंसी, उ०प्र०।